MR. DEPUTY SPEAKER : The result* of the Division is : Ayes : 16 ; Noes : 48. The motion is not carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting. So the motion is lost.

The motion was negatived.

———

15.08 hrs.

PUBLICATION OF POLITICAL PARTY ACCOUNTS BILL

THE MINISTER OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI C. M. POONACHA) : The Law Minister is coming in a minute. He has asked me to follow the debate and take notice till then.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He should have written to the Chair. It is very good of you, but ministers are not to be represented by proxy on such important Bills. Now, the Law Minister has come.

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON) : I thought the other side would be speaking and so, I requested Mr. Poonacha to be present for a few minutes till I came.

श्री शिव नारायण (बस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। जब आप डिवीजन की घंटी बजायें, तब मेहरबानी करके उसके बीच में कोई डिस्कशन न होने दीजिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I know Mr. Sheo Narain is meticulous about observing the rules.

Now, 2 hours are allotted for this Bill. The mover may take 20 minutes.

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh) : I beg to move :

> "That the Bill to provide for the compulsory publication of annual accounts by recognised political parties, be taken into consideration."

उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक इस आशय से मैं इस सदन के सम्मुख लाया हूँ कि जो राजनीतिक दल हमारे देश के अन्दर कार्य करते हैं, वे अपनी आमदनी का और अपने खर्चे का हिसाब किताब प्रकाशित किया करें। इस प्रकार के विधेयक हमारे दल की ओर से समय-समयपर आते रहे हैं। आपको याद होगा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक विधेयक इस आशय का यहां रखा था और उसमें यह मांग की थी कि जो कम्पनियां राजनीतिक दलों को चन्दे देती हैं, बड़ी-बड़ी धनराशियां देती हैं, उसके ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जाए। लेकिन मुझे याद है कि उस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी उन्होंने उसका भरसक विरोध किया था। लेकिन आज बदले हुए हालात में फिर से सरकार इसके ऊपर विचार करने जा रही है। लेकिन आज मैं फिर इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि आज राजनीतिक दलों के सिलसिले में लोगों के मन में भ्रांतियां बढ़ती जा रही हैं। जिस विशाल धनराशि का व्यय उनको राजनीतिक गतिविधियों के लिए, अपने अधिवेशनों के लिए और विशेष कर चुनावों में करना पड़ता है उसके सम्बन्ध में जनता इस प्रकार की अपेक्षा रखती है, आशा रखती है कि उस सारे धन का हिसाब किताब, उस सारे धन का लेखा जोखा प्रकाशित हो और सब के सामने आये।

राजनीतिक दल भारत में जो लोकतंत्रीय व्यवस्था है, उसमें एक विशेष स्थान रखते हैं।

---

*The following Members also recorded their votes :—

Ayes : Sarvashri Deven Sen, A. Sreedharan, Arjun Singh Bhadoria, Ram Charan, Janeshwar Misra, N. R Patil, and Dr. Amat.

Noes : Sarvashri Chintamani Panigrahi, Chandra Jeet Yadav and Randhir Singh.

मैं यह जानता हूँ कि भारत के संविधान में आज उनका कोई स्थान नहीं है। परन्तु पीपल्ज रिप्रिजेंटेशन एक्ट के तहत जो कंडक्ट आफ इलैक्शन रूल्ज बने हैं, उसमें हमने राजनीतिक दलों को मान्यता दी हुई है चुनाव लड़ने की और उनके लिए हम चुनाव चिह्न भी तय करते हैं। यह भी सर्वविदित है कि राजनीतिक दलों के द्वारा हमारे देश का जो जम्हूरी ढांचा है, हमारे देश में जो राज्य करने का तरीका है, वह चलाया जा रहा है इसलिए मैं समझता हूँ कि इन दलों के सम्बन्ध में लोगों के मनों के अन्दर कोई शकूक रहें, कोई भ्रांतियां रहें, उनके ऊपर उनकी पूरी आस्था न रहे, यह हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक चीज नहीं होगी, यह हमारे देश के लोकतंत्र को दुर्बल करने वाली चीज होगी। जनतंत्र के स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार का पग उठाया जाए। मैं यह नहीं कहूँगा कि यह एक पूरा इलाज होगा सारी जो बुराई है उसका। लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह एक उचित कदम होगा, सही दिशा में एक कदम होगा।

आप यह भी देखें कि हमारे देश के अन्दर काले धन का बड़ा भारी प्रभाव है। वह चाहे उद्योग के अन्दर हो, चाहे व्यापार के अन्दर हो या बड़े-बड़े पूंजीपतियों के पास हो, बड़ी भारी मात्रा में उपलब्ध होता है। कभी-कभी कोई जागरूक राजनीतिक कार्यकर्ता उसको किसी न किसी स्कैंडल के रूप में उघाड़ते हैं, उसको सामने लाते हैं। यह तो आप भी मानते हैं कि आज काला धन हमारे देश के अन्दर भारी मात्रा में इस्तेनाल हो रहा है और वह हमारे राजनीतिक दलों तक भी पहुँचता है। पिछले चुनावों के सिलसिले में इस सदन में यह प्रश्न उठाया गया था और गृह-मन्त्री श्री चव्हाण ने यह स्वीकार किया था कि 1967 के आम चुनाव में विदेशी धन का भी प्रयोग हुआ था। जब इस प्रकार की बात को हम सुनते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। भारत के राजनीतिक दल चुनाव में विदेशी धन का प्रयोग करें, विदेशी सहायता उनको मिले, मैं समझता हूँ कि भारत के लोकतंत्र के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए यह ठीक नहीं है, उसके स्वास्थ्य को दुर्बल करने वाली यह चीज है। अगर यह काला धन राजनीतिक दलों तक पहुंचता है तो वह चीज सामने आनी चाहिये, सतह पर आनी चाहिए। इस बात को छिपाया नहीं जाना चाहिये।

आज अनेक दलों के ऊपर आरोप लगाये जाते हैं। कोई कहता है कि पूंजीपति फलां दल को भारी मात्रा में धन देता है। किन्हीं दलों के बारे में कहा जाता है कि उनको विदेशों से सहायता मिलती है। आज जिस प्रकार से भारी मात्रा में धन का व्यय करना पड़ता है विशेष कर चुनाव में, उसकी भी काफी आलोचना होती है मैं कहूँगा कि आज चुनाव मंहगे होते जा रहे है और जब से सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया है कि जहां तक राजनीतिक दलों का संबंध है, वे किसी चुनाव में जो धन व्यय करते हैं किसी प्रत्याशी के लिए या अपने दल की विचार धारा के प्रसार के लिए, वह धन उस गिनती में नहीं आ सकता है, तब से तो चुनाव खर्च और भी ज्यादा हो गया है एक प्रत्याशी जो लोकसभा का या विधान सभा का चुनाव लड़ता है उसको रिप्रिजेंटेशन आफ दी पीपल एक्ट के अन्दर अपने खर्च का हिसाब देना पड़ता है और एक मर्यादित धनराशि ही वह व्यय कर सकता है। उससे अधिक अगर वह करता है तो उसका चुनाव अवैध घोषित हो जाता है। इसलिए उससे बचने के लिए एक दूसरी परिपाटी चली है, एक दूसरा तरीका चला है और वह है राजनीतिक दलों के द्वारा धन का व्यय किया जाना। मैंने भी एक चुनाव याचिका दिल्ली और पंजाब हाई कोर्ट के शिमला बैंच में लड़ी थी।

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak): On point of order, Sir. This Bill, which seeks to amend the Constitution..... (*Interruption*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no amendment; it is independent legislation.

SHRI RANDHIR SINGH : Political parties are not recognised either by the Representation of the People Act or by the Constitution as such ; they are recognised only by the rules and those rules do not have the force of law. So, there is absolutely no need for this Bill. If he wants to bring forward a Bill on this subject, he should bring forward a comprehensive Bill to make suitable amendments to that effect in the Representation of the People Act. But this Bill does not come within the ambit of that provision and I feel that he should withdraw this Bill and bring forward another Bill to amend the Representation of the People Act.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : I think, Chaudhri Randhir Singh has misunderstood it. He thinks that it seeks to amend the Constitution. This Bill only wants that candidates belonging to political parties must disclose their expenses. It is actually a check so that elections are not polluted either by foreign money or by (*An Hon. Member* : Birla money) that money which influences elections. So, he should understand that is a perfectly valid Bill. No objection was raised when it was introduced. But if he wants to oppose it, he can oppose it when he gets an opportunity to speak.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : Sir, the point of order is raised under the impression that there is no mention of the word "parties" in the Act itself but is mentioned only in the rules. It is also assumed by him that the rules have no force of law. Unfortunately, it is not a fact. Those rules have the force of law and it is under the force of those rules that you and I and everybody here is participating in elections and we are able to come here to form the government, run the administration of this entire country and take charge of Rs. 3,000 crores a year. Therefore, when it has been found on account of our experience in the last 20 years that there must be some check on this, it was a good idea that came into the head of Shri Goyal. When he has brought a very good, decent, corrective measure, that a point of order should be raised by such a great purist as Shri Randhir Singh is simply ununderstandable. It is quite in order because the rules do recognise these political parties. It is under those rules that we are functioning. Therefore it is quite within order. Besides, the Lok Sabha has got power to pass legislation on any subject which is covered by List I or List III of the Seventh Schedule of the Constitution.

Therefore, we have got powers directly as well as residuary'

MR. DEPUTY-SPEAKER : Will he throw some light on this ? I do not think Mr. Randhir Singh wants to block the progress of the Bill I do not think that is his intention. The question is that rules are framed under the People's Representation Act or the Conduct of Election rules and, according to his plea, if I have understood him correctly, instead of an independent legislation, it could fit in as an amendment to the People's Representation Act. What have you got to say about this particular point.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : Both can be done. There are two methods of effecting a change. One is by amending the Conduct of Election rules and the other is by bringing a comprehensive, an independent, Act by itself so that it covers not merely the People's Representation Act but perhaps also any other election machinery and election procedures throughout the land. There is nothing wrong with this will. This is a comprehensive one. Personally, I myself have been of the opinion that this is a measure which the Government itself should have sponsored.

SHRI K. NARAYANA RAO (Bobbili): Sir, you have correctly identified the issue which my hon. friend has rightly raised. The issue is not so much about the competence of Parliament but about the propriety and procedural aspect of it. The Bill itself makes a pointed reference to the Conduct of Election rules, rule (5), sub-rule (1). There are two courses open. The proper way is to bring a modification in the election rules. But a more proper way is to bring an amending Bill, an amendment to the People's Representation Act. Therefore, on the question of propriety and also on the proper conduct of the business here, I feel, there is considerable force in what my hon. friend, Shri Randhir Singh, has said.

श्री श्रीचन्द गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपल एक्ट का ताल्लुक है, उसमें पोलीटिकल पार्टीज के बारे में कोई स्वतन्त्र प्रावधान नहीं है। उस एक्ट के तहत हमने जो कान्डक्ट आफ इलैक्शन रूल्ज बनाये हैं, उनमें पोलीटिकल पार्टीज को रेकगनाइज किया गया है और चुनाव लड़ने के लिए उन्हें सिम्बल ग्रान्ट किये गये है। रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपल एक्ट के संशोधन का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इस लिए मैंने सदन के सामने यह एक स्वतंत्र बिल रखा है, जिसका रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपल एक्ट से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। देश में जनतंत्र का स्वास्थ्य कायम रखने के लिए और उसको सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि राजनैतिक दल अपने धन का लेखा-जोखा और हिसाब-किताब घोषित करके जनता के सामने रखें। इसलिए लोक सभा को स्वतंत्र रीति से इस बिल पर विचार करके इसको पारित करने का पूरा अधिकार है। इसको दूसरे कानूनों के साथ जोड़ने की, या किसी कानून के संशोधन के रूप में रखने की, कोई आवश्यकता नहीं है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You should clarify one more point. So far as the parties are concerned, they are covered by this Bill. What about Independents ? They might be getting money from some other source. How are they to be governed ?

श्री श्रीचन्द गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल केवल चुनावों पर होने वाले खर्च के हिसाब-किताब को घोषित करने के लिए और उसकी देख-भाल या जांच-पड़ताल करने या निगाहवानी रखने के लिए नहीं है। यह बिल तो इस दृष्टि से लाया गया है कि राजनीतिक दल विभिन्न साधनों से जो भी धन इकट्ठा करते हैं और उस धन को अपने संगठनों की गतिविधियों, अपने प्रचार, अपने वार्षिक अधिवेशन या फिर चुनाव लड़ने के लिए खर्च करते हैं, उस सबका विवरण, अर्थात् राजनैतिक दलों के धन और आय के साधन और उसकी खर्च करने के तरीके सतह पर आयें, जनता को उसके बारे में जानकारी हो। लोगों की वहां तक पहुँच और रसाई हो। इस बिल का स्कोप केवल चुनावों पर होने वाले खर्च तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राजनैतिक दल अपनी विभिन्न गतिविधियों के लिए किस प्रकार का धन इकट्ठा करते हैं और किस प्रकार उसको व्यय करते हैं, वह सब कुछ इस बिल के अन्तर्गत आ जाता है। आपने आजाद उम्मीदवारों के बारे में पूछा है कि इस बिल से वे कैसे कवर होंगे। उसका कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि आजाद उम्मीदवार इस तरह का धन इकट्ठा नहीं करते हैं ;

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON) : With great respect to by hon. friend, Shri Singh, I would say that I do not find anything legally objectionable in this Bill. This is a valid Bill. Your point was—and that was a good point—that it could have come better as an amendment to the representation of the people Act. I was going to say that in my reply. But because this has not been brought that way, it does not cease to be a good bill. In fact, in substance, this will work as an amendment of the Representation of the People Act. That kind of legislation is also understood. But I would be requesting the hon. Member later on to withdraw the Bill because that Election Commission, after the 1967 General Elections, has recorded in its report that it would be advisable to amend the Representation of People Act to have a provision of this type, but, subsquently, the mini-elections, as we generally refer to, came and there was no time. Immediately after the result of the elections came out, I had a long talk with the Chief Election Commissioner...

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, ला मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं और सदन में कोरम नहीं है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The bell is being rung...

Now there is quorum. The hon. Minister may continue.

SHRI K. NARAYANA RAO : I rise on a point of order. After the point of quorum has been raised, is it proper on the part of member or members who had been sitting in the house to leave the house ? When the quorum bell was ringing, Mr. Limaye and Mr. Banerjee left the house. I went your ruling on this.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is expected of a member who raises it to be not only attentive but also be present in the House. Otherwise, it will be just frivolous...

SHRI K. NARAYANA RAI : My point is different. Why should members leave the House when the quorum bell is ringing ? when the quorum bell is ringing we are expected to rush to the house, but members who were here already were leaving when the bell was ringing. Is it proper on the part of members to leave the House when the quorum bell is ringing ? I want your ruling on this.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is not proper.

SHRI RANDHIR SINGH : They are not diligent members ; they should be suspended.

SHRI GOVINDA MENON : I was saying that the Chief Election Commissioner has, in his report on the 1967 General Elections, included a paragraph which completely supports Mr. Goyal. that is to say, political parties should be compelled to disclose the amounts they spend on elections.

It is not in this matter only but in several other respects also that the Representation of the People Act 1951, requires modifications and amendments So it was only about a week ago that I had a discussion with the Chief Election Commissioner when I requested him to advice Government on the comprehensive amendments required to the Act. That being so, we could go over to the next Bill on the agenda if my hon. friend, the Mover, would agree to withdraw this Bill. Government will certainly bring forward a comprehensive Bill to amend the Act.

SHRI BALRAJ MADHOK (South Delhi) : While we appreciate the stand that the Law Minister has taken, I would suggest that we should proceed with discussion of the Bill as it would thrash out many issues which would be of help in drafting the comprehensive Bill envisaged by hon. Minister.

SHRI RANDHIR SINGH : The law Minister has more or less conceded what the mover wanted. His object having been achieved, why waste the time of the House now ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : He raised a point of order and the Law Minister has given certain clarifications which are useful. Now the Bill is before us. A little discussion would give a little more opportunity to members to express their viewpoints, and than the hon. Member will withdraw the Bill. We will spend as little time on it as possible.

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI (Bhopal) : Government can bring forward suitable amendments to this Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : No, procedurally it would be better to have a comprehensive amending Bill.

श्री भीखभाई गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कि विधि मन्त्री ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है कि वह पीपुल्स रेप्रेजेन्टेटिव ऐक्ट में कोई न कोई संशोधन करके राजनैतिक दल जो चुनाव में धन खर्च करते है उसके ऊपर कोई नियंत्रण लगाएंगे, उसके लिऐ मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो विधेयक इस समय इस सदन में पेश है उसका स्कोप इससे कुछ ज्यादा है। केवल चुनाव का प्रश्न नहीं है। मैंने यह प्रार्थना की है कि राजनैतिक दल अपना पूरा हिसाब-किताब पेश करें। मैं अभी आपके सामने कुछ आंकड़े रखूंगा। आपको पता होगा अभी फ़रीदाबाद के अन्दर कांग्रेस का अखिल भारतीय अधिवेशन होने जा रहा है उसके लिए 40 लाख रुपया इकट्ठा किया जा रहा है। मैं अभी फरीदाबाद गया था। वहां के एक बड़े पूंजीपति जिसकी एस्कार्ट्स नाम की कंपनी है, 7 लाख रुपया इसके लिए चन्दे के रूप में या धन के सहायता के रूप में दे रहा है। इस

प्रकार के उद्योगपति, इस प्रकार के पूंजीपति बड़े-बड़े व्यापारी जब धन देते हैं राजनैतिक दलों को, चाहे वह चुनाव के लिए देते हैं, चाहे वह दल की गतिविधियों के प्रसार के लिये देते हैं, चाहे उसकी विचारधारा के प्रचार के लिये देते हैं, प्रश्न यह है कि वह धन किस सोर्स से आया है उसका पता लगना चाहिए। जनता के सामने वह बात आनी चाहिए। किस प्रकार से उसका व्यय किया गया, उसकी पूरी जानकारी मिलनी चाहिये। तो मैं वहां तक तो उनका धन्यवाद करता हूं जहां तक चुनाव के नियम में वह संशोधन करेंगे परन्तु मैंने गुजारिश की है कि इस बिल का जो स्कोप है वह इससे कहीं ज्यादा है। वह पूरा नियंत्रण राजनैतिक दलों के रुपया इकट्ठा करने और खर्च करने पर तथा उसके हिसाब-किताब के नियंत्रण के बारे में है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसको पेश करना बहुत आवश्यक है।

मैं उदाहरण दे रहा था कि आज काला धन अपने देश में बढ़ता जा रहा है और उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। मैं यह भी निवेदन कर रहा था कि जबसे सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि राजनैतिक दल चुनाव में जो धन व्यय करेंगे वह किसी भी प्रत्याशी के चुनाव में खर्च हुए धन के हिसाब में गिना नहीं जायगा। उसके कारण यह मनोवृति बढ़ी है कि प्रत्याशी जो रुपया खर्च करेंगे वह अपने माध्यम से नहीं बल्कि वह अपने राजनैतिक दल के माध्यम से खर्च करेंगे और इससे भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इज कारण भी मैं समझता हूं कि इसके ऊपर रोक लगाना आवश्यक है। मैं केवल एक दो दलों का उदाहरण देना चाहता हूँ। पिछले दिनों में वह रिपोर्ट आई है :

Organisational report adopted at the Patna session on 26 Feburary 1968 by the Communist Party of India. This report contains a sensational confession that the Party spent Rs. 80 lakhs in the first six months from September 1, 1966 to February 1. 1967.

एक राजनैतिक दल छः महीने में 80 लाख रुपया खर्च करता है और यह केवल आज मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अनेकों सूत्रों से उनके ऊपर इस बात की आलोचना की जाती है, आपत्ति की जाती है कि उनको विदेशी सूत्रों से यह धन की सहायता मिल रही है। यह आपत्ति की जाती है कि जो पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस है, कम्यूनिस्ट पार्टी के जो बड़े-बड़े नेता है, वह इसके डाइरेक्टर्स हैं और यह सारा लिटरेचर पब्लिश करने के नाम पर इतना धन व्यय किया जाता है। मैं यह भी जानता हूं कि वह कोई इतना लम्बा चौड़ा साहित्य तैयार नहीं करते। साहित्य तो वह बिदेशों से मंगाते हैं। लेकिन उसके नाम पर काफी धन खर्च किया जाता है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : यह बात नहीं है। हमारा तो एकाउंट भी पब्लिश होता है। इनका तो वह भी नहीं है। जनसंघ का कहीं एकाउंट है ?

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो न्यू एज प्रिंटिंग प्रेस है उसके अन्दर भी रूस की तरफ से जितनी पुस्तकें छपती हैं, जितना साहित्य छपता है वह सारा का सारा आज इनको दिया जाता है। इसी प्रकार से ऐडवर्टाइजमैंट्स के द्वारा पैसा दिया जाता है। यह दल जो समाचारपत्र निकालता है चाहे वह साप्ताहिक हो. चाहे वह मासिक हो, चाहे दैनिक हो, उन पत्रों में उनको जो बड़ी बड़ी रकमों ऐडवर्टाइजमेंट्स दिये जाते हैं इसी प्रकार की भारी सहायता होती है। मेरा किसी एक राजनैतिक दल पर इस प्रकार की आपत्ति करने का उद्देश्य नहीं है। आज अनेकों दलों के बारे में इस प्रकार की आपत्ति की जाती है। आज कांग्रेस दल के बारे में कहा जाता है कि कुछ बड़े-बड़े पूंजीपति चाहे वह टाटा हों, बिरला हों, चाहे डालमिया हों, चाहे अमीचन्द प्यारे लाल हों, वह बड़ी भारी-भारी रकमें इनको देते हैं। जैसे मैंने अभी बतलाया, एक अधिवेशन के लिए 7 लाख रुपया एस्कार्ट्स

[श्री श्रीचंद गोयल]

वाले दे रहे हैं। पिछले दिनों में डी० डी० पुरी ने 10 लाख रुपया चन्दा कांग्रेस पार्टी को दिया। मैं इस चीज को सिद्धांत के रूप में रखना चाहता हूं ताकि मतदाताओं को चुनाव के पहले इस बात का पता चल जाय।... (व्यवधान)...हमारे बारे में भी कहिये। हम भी छापेंगे। हम तो जब यह बिल ला रहे हैं तो हम अपना सारा हिसाब-किताब छापने के लिए तैयार हैं, इसी आशय से यह बिल लाए हैं। हम जिन सूत्रों से धन इकट्ठा करते है उसका एक-एक पैसे का हिसाब देंगे और जिस प्रकार से खर्च करते हैं उसका एक-एक पैसे का हिसाब देंगे। इसीलिए हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि हम इस बात की मांग करें कि राजनैतिक दल अपने सारे लेखे-जोखे को जनता के सामने प्रस्तुत करें। जनता को जब शकोसुबहे हैं, उनको जब इस प्रकार संदेह है तो वह दूर होना चाहिए और मैं समझता हूं कि जब यह हिसाब किताब प्रस्तुत होंगे तब लोगों के संदेह दूर होंगे।

हाउस आफ कामन्स के अन्दर एक लेबर मेम्बर पार्लियामेंट, जाफरे विंग ने 15 दिसम्बर, 1949 को इसी आशय का एक बिल हाउस आफ कामन्स के अन्दर पेश किया था। उन्होंने जो तर्क दिये है वह इस प्रकार हैं :

Mr. Geoffrey Bing 1512

I beg to move, Mr. Bing said, that in the opinion of the House political parties and other associations having political action as one of their aims should publish annually full and adequate statements of their accounts.

SHRI GOVINDA MENON : What happened to the Bill ?

SHRI SHREE CHAND GOYAL : Exactly ; the Conservative Party of England has the same attitude as the Congress Party of India.

मैं यही कहना चाहता हूं कि वहां पर भी यही हुआ, वहां की कन्जर्वेटिव पार्टी ने इस बिल को स्वीकार नहीं किया। इसमें दलील यह दी गई थी कि मतदाताओं को चुनाव से पहले इस बात का पता लगना चाहिए कि किन-किन सूत्रों से यह धन आया है, किन इन्टरेस्ट्स ने यह धन दिया है और वे किस प्रकार से उस दल की नीतियों पर बाद में प्रभाव डालेंगे, किस प्रकार उस दल की नीतियां, कार्यक्रम और गतिविधियां आगे जाकर प्रभावित होंगी। इसलिए अपने मत का प्रयोग करने से पहले जनता को इसका पता लगना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी वजनदार दलील है कि कांग्रेस दल इस बात का नाजायज फायदा न उठाये, जिन सूत्रों से भी वे धन लेते हैं, चाहे प्रधान मन्त्री के पद या दूसरे मन्त्रियों के पदों से लाभ उठाकर जो धन इकट्ठा किया जाता है, जिसके लिये न दल चाहता है और न देनेवाला चाहता है कि उनका नाम प्रकाश में आये, क्योंकि वे छिपे रहकर दल की नीतियों को प्रभावित करना चाहते हैं, बदनाम नहीं होना चाहते—जनता का अधिकार है कि जिन सूत्रों से वह धन आया है, उसकी पूरी जानकारी उसको मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर श्री आर० टी० मैकन्जी ने अपनी पुस्तक ब्रिटिश पोलोटिकल पार्टीज में कन्जर्वेटिव पार्टी की आलोचना की है तथा इसी विषय पर मैं आपका ध्यान श्री क्राउबेल की पुस्तक की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा है—

"That he who pays the piper calls the tune is often said to be the entire story of party finance in a democracy."

मैं यह समझता हूं कि जो इस प्रकार से धन देते है, वे अपनी इच्छाओं के अनुसार उस दल की नीतियों को दिशा देते हैं। इसलिए यह कहा गया है कि लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, इस बात का पता लगना चाहिए।

आखिर में मैं यह निवेदन करूंगा कि यह

दलगत प्रश्न नहीं है। चौधरी रणधीर सिंह और विधि मन्त्री इस बात का प्रश्न न उठायें—चूंकि जनसंघ दल की तरफ से यह विधेयक लाया गया है, इसलिये इसका विरोध करना है। मैं समझता हूं कि यह जनतन्त्र के स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए, उसको सुधारने के लिये सही दिशा मे एक आवश्यक कदम है। मैं यह नहीं कहता कि यह सब मर्जों की एक ही दवा है, इससे तमाम काला धन प्रकाश में आ जायगा, लेकिन इतना मैं जरूर समझता हूं कि इससे जनतन्त्र के स्वास्थ्य को कायम रखने के लिये निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। इसलिये मैं सभी दलों से प्रार्थना करता हूं कि इसको दल का प्रश्न बना कर, सभी दल इसको समर्थन दें।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

> "That the Bill to provided for the compulsory publication of annual accounts by recognised political parties, be taken into consideration."

The law Minister has already indicated that he intends to bring forward a comprehensive Bill. So, I request hon. Members to confine their remarks to just five minutes each. Already we have lost 45 minutes,

श्री तुलशीदास जाधव (बारामती) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ला मिनिस्टर साहब ने शुरुआत में ही इसके प्रिन्सिपल को कुबूल कर लिया है—इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। कोई अच्छी चीज हो, चाहे वह कहीं से भी आये, उसको कबूल करने की हिम्मत उन्होंने दिखाई है यह अच्छी बात है।

एकाउन्ट्स के बारे में यहां पार्लियामेंट में, बाहर अखबारों में और पब्लिक मीटिंग्ज में बार-बार चर्चा होती है। उसका हम अपने तरीके से उत्तर देते हैं, परन्तु यह बात स्वाभाविक है कि जिस पार्टी के हाथ में सत्ता होती है, समाज में उनके प्रति अनादर पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, कल दूसरी पार्टी सत्ता में हो सकती है, परन्तु विरोधी पार्टियां सदैव सत्ताच्युत पार्टी के प्रति, उनकी नीतियों के प्रति, उनकी बुराइयों के प्रति पब्लिक मीटिंग्ज में या अखबारों के जरिये जनता के मन में शक पैदा करने की कोशिश करती हैं, यह बात दूसरी है कि लोग उनको मानते हैं या 100 परसेन्ट नहीं मानते हैं, परन्तु उसका असर जरूर होता है।

SHRI S.M. BANERJEE : Sir I understand that Mr. Narayana Rao said that I raised quorum and walked out of the House. I never raised quorun.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He never mentioned your name.

श्री तुलशीदास जाधव : इसलिये इस देश में डेमोक्रेसी की प्राथमिक अवस्था में यदि सब पार्टियां, जिनको जनता के सामने जाना है, अपने-अपने एकाउण्ट बतायें तो यह एक अच्छी परम्परा होगी। उसमें यह बात तो नहीं है कि किसके पास से कितना लिया है लेकिन डोनेशन उसमें बता सकते हैं।

जहां तक मुझे मालूम है असेम्बली के इलैक्शन के लिये 10 या 12 हजार रुपये और पार्लियामेंट के इलैक्शन के लिये 25 हजार रुपये तक खर्च करने की परमीशन है, परन्तु ऐसा सुना जाता है कि यह खर्चा कहीं ज्यादा होता है। यह बात सही है कि पहले 1937 में जो इलैक्शन हुए और उस वक्त जो खर्चा होता था, उसके मुकाबले में आज के इलैक्शन के लिए अगर मैं ऐसा कहूँ कि यह एक बारगेनिंग जैसी चीज हो गई है, तो वह गलत न होगा। जैसे हम बाजार में कोई चीज खरीदने जाते हैं, उसी तरह की स्थिति इलैक्शन की हो गई है। मुझको स्मरण है—राजेन्द्र बाबू जब राष्ट्रपति पद छोड़ रहे थे, उन्होंने अपनी आखिरी स्पीच में कहा था मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, अब तक 12 वर्षों में मैंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन जाते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि इलैक्शन में ज्यादा खर्च होना, डेमोक्रेसी के लिये डेंजर है। उनकी यह बात सही है। हमारे देश में आर्थिक दृष्टि से गरीब लोग ज्यादा है, वे किसी

[श्री तुलशी दास जाधव]

पार्टी या उसके प्रिन्सिपल पर ध्यान नहीं देते, जब लोग उनके पास पैसा देने जाते हैं तो सोचते हैं कि किसको वोट दें, जो पैसा देता है उसको वोट दे देते हैं। तो एक तरह से यह बाजार जैसी चीज हो गई है।

एकाउन्ट देने से उस पर कन्ट्रोल आयेगा, यह बात सही है। आज पैसा देकर वोट खरीदने का एक परिणाम यह भी हुआ है—मैं इस पार्टी या उस पार्टी के बारे में या इस एम० पी० या उस एम० पी० के बारे में नहीं कह रहा हूँ आज यह हवा बन गई है कि जो इस तरह से चुनकर आता है, वह साढ़े चार या पौने पांच साल तक लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं समझता। वह समझता है कि 10-15 लाख रुपया खर्च करने से वोट मिल जायेगा, इसलिए रोजाना जाने की क्या जरूरत है। जनता के साथ सम्पर्क, जिसको हम 'मास कोन्टेक्ट' कहते हैं, जो डेमोक्रेसी का प्रिन्सिपल है, वह खत्म हो जाता है। आजकल यह हो रहा है कि बड़े-बड़े लखपति यहाँ वहाँ कहीं भी चले जाते हैं, जहां उनका जनता के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है वहां चले जाते हैं जो जनता में काम करने वाले वर्कर्स हैं, जिनका जनता के मास-कोन्टेक्ट है, वे भी पैसा लेकर, उनसे दस-पांच लाख रुपया लेकर खर्च करके चुनाव जिता देते हैं।

डिमोक्रेसी के लिये यह चीज बहुत नुकसानदेह होगी। इसमें किसी भी पार्टी का सवाल नहीं है। जो हमारा मूल प्रिंसिपल है, उसके लिए यह बड़ा धोखा है। इसलिए मेरा यह कहना है कि जो एकाउन्ट की बात है, उसको देने में या मांगने में कोई हर्ज नहीं है।

एक बात मुझे यह कहनी है कि इलैक्शन के लिए किसी भी पार्टी को लोगों से बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। हर गांव में पोलिंग स्टेशन बने होते हैं। वहां पर जो लोग रहते हैं वे अपने खेतों पर काम करने के बाद भी अपना वोट देने के लिए आते हैं। उनके ऊपर किसी भी पार्टी को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। पांच वर्ष तक तो लोग उन गांवों में जाते नहीं हैं और जब वोट लेने का समय आता है तभी वहां पर जाते हैं, यह बात मैं समझता हूं ठीक नहीं है। इसी प्रकार से सरकार के लिए भी यह उचित नहीं है कि चार साढ़े चार साल तक जो वह आम जनता के लिए अच्छे-अच्छे कानून न बनाये, उनको सुविधाएं प्रदान न करे और फिर बाकी 6 महीनों में ही उनके लिए कुछ अच्छे काम करे। मैं तो समझता हूं कि लोगों से बराबर ताल्लुक बनाये रखना चाहिए। फिर वे आसानी से वोट देंगे और किसी को कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं होगी। यह बात मैं समझता हूं, हर एम० पी०, हर एम० एल० ए० के दिल में आनी चाहिए कि वे लोगों से बराबर सम्पर्क बनाये रखें। फिर जनता भी सोचेगी कि ये तो हमारे पास हमेशा ही आते हैं, इसमें लेन-देन की कोई बात नहीं है। डिमोक्रेसी को बनाये रखने के लिए देश में इस प्रकार की हवा को तैयार करना बहुत ही जरूरी है।

अन्त में मुझे यह निवेदन करना है कि इस पार्लियामेंट के अन्दर इस प्रकार से पैसे के लेन देन की जो बातें कही जाती हैं, जो कि अखबारों में भी निकलेंगी, मैं समझता हूँ किसी प्रकार भी उचित नहीं है।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान विधेयक वास्तव में इस देश में स्वस्थ लोकतन्त्र के लिए बहुत ही गुणकारी और लाभदायक है। इसलिए मैं यहां पर किसी भी राजनीतिक दल के खर्चे के ब्यौरे में न जाकर नीति और सिद्धान्त की चर्चा करना ही ज्यादा उचित समझता हूँ। हमारे कुछ माननीय सदस्य इस विधेयक को केवल चुनाव के खर्चे तक तक ही सीमित रखना चाहते हैं। चुनाव का खर्चा ही नहीं बल्कि इस विधेयक में प्रत्येक दल का सम्पूर्ण आय-व्यय का एक वर्ष का लेखा-जोखा आना चाहिए।

यदि हमें देश के लोकतन्त्र को मजबूत और भविष्य के लिए सफल बनाना है तो हमें यह ढूंढना होगा कि कहीं गंगोत्री के अन्दर तो कीचड़ नहीं है ? यदि हम राजनीतिक दल के लोग जनता से मिले हुए धन का हिसाब-किताब जनता के समक्ष उपस्थित नहीं कर सकते हैं तो फिर यह मानना होगा कि हमारा विश्वास ही लोकतन्त्र में नहीं है। यह बिल जो उपस्थित किया गया है, इसके पीछे जो मंशा और कार्यक्रम है, वह दोनों ही लोकतन्त्र के लिए उपयोगी होंगे यदि शासन इसे मंजूर करे। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि देश के लोकतन्त्र को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि अगर विरोधी दल की ओर से भी देश के हित के लिए कोई बात आये तो शासन का परम कर्तव्य हो जाता है कि उन अच्छी बातों को भी मंजूर करे। आज शायद शासक दल यह सोचता है कि उसके पास काफी धन है लेकिन मैं उनको सचेत करना चाहता हूँ कि यदि वह धन किसी उपयोग में आता है तो केवल मुट्ठी भर लोगों के उपयोग में ही आता है। शासक दल के जो गरीब, मेहनतकश लोग है, जोकि अपना सम्पूर्ण समय देकर काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए आगे चलकर मुसीबत आयेगी। अभी विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब में जो मध्यावधि चुनाव हुए और आगे 1972 में लोक सभा के लिए चुनाव होंगे, उसमें लोकसभा के हर सदस्य को अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। यह हो सकता है कि कांग्रेस दल में जो बड़े राजा लोग या सेठ लोग हैं, वे शानदार ढंग से चुनाव लड़ सकें लेकिन गरीब लोगों को तो छोटी सहायता से ही अपना चुनाव अभियान चलाना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शासक दल में जो गरीब लोग हैं वे सरकार पर इस बात का दबाव डालें कि हर दल अपना हिसाब-किताब तभी पेश करेगा जब शासक दल इस नीति को मंजूर करे। आज इसकी मंजूरी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी शासक दल के ऊपर है। मैं शासक दल से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई आज का ही सवाल नहीं है, हो सकता है कि अगले दस साल तक आप शासन में रह कर मजबूती से काम चला लें लेकिन दस साल के बाद अगर आपको यही शिकायत करनी पड़ी, जोकि आज विरोधी दल के लोग करते हैं, तो उस स्थिति में वह आपके लिए उपयोगी नहीं होगा, आपके लिए भी वही चीज उपयोगी है जोकि सारे देश के लिए उपयोगी है, देश के लोकतन्त्र के लिए उपयोगी है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : जो बिल इस हाउस के सामने उपस्थित है, उसके जो सिद्धान्त हैं वह तो बहुत सुन्दर हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ—दिल साफ हो तो आइना क्या चीज है।

15.57 hrs.

[Shri Gadilingana Gowd *in the Chair*]

खुदरा फजीहत, दीगरा नसीहत। आप सारी गालियां कांग्रेस को ही न दें, जरा अपने दामन में भी मुंह डालकर देखें। मैं अभी मिड टर्म इलैक्शन से लौटा हूं। मैंने वहां पर पैदल और रिक्शे से दौरा किया। मैं तो जब जीतकर आया तो हमेश फर्स्ट नम्बर पर अपना रिटर्न दाखिल किया। और जब मैंने अपना रिटर्न दाखिल कर दिया तो फिर हमारे उस रिटर्न की नकल जनसंघ, स्वतन्त्र दल, सभी ने की। तो हम अग्रसर हैं, हम हमेशा आपको प्रकाश देते है। हमारा संविधान मौजूद है। हमने संविधान में लिखा है कि हम एकाउन्ट्स देंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी अगर किसी से चन्दा लेती है तो उसको रसीद भी देती है। हमारे वर्कर्स और मेम्बर्स के पास बाकायदा ए० आई० सी० सी० की तरफ से छपे हुए फार्म मिलते है। अगर किसी ने दस रुपये दिये तो उसको फौरन दस रुपये की रसीद काट कर दे दी।

एक माननीय सदस्य : लेकिन दस पांच लाख की रसीद नहीं देते हैं।

श्री शिव नारायण : दस-बीस लाख की भी हम रसीद देते हैं। हम आज शान से कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में जो हमारे चीफ मिनिस्टर श्री चन्द्रभानु गुप्त हैं, उन्होंने आज तक किसी से भी अगर पैसा लिया तो उसकी रसीद दी, पी० सी० सी० के नाम चैक कटवाया, उस पैसे को अपनी जेब में नहीं डाल लिया। वे तो हम लोगों को भी डांटते रहते हैं कि सावधान रहो। मैं आपको यह एक नमूना दे रहा हूं, कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि गाली देने से पहले जरा अपने दामन में भी मुंह डाल कर देखो।...(व्यवधान)...जो दिल खोजों आपना, मुझ से बुरा न कोय। जब नयी पार्लमेंट आई थी तब इस आनरेबल हाउस में यह ववेच्चन आया था। सभी पार्टीज का नक्शा हमारे होम मिनिस्टर की जेब में था, सभी के मुंह बन्द थे। इसलिए ऐसी बात कीजिए जोकि दूसरों को भी मान्य हो। हमारे ला मिनिस्टर ने इस बिल के प्रिंसिपल को माना है। हम लोग भी मानते हैं और चाहते हैं कि इस मुल्क में जितना कम पैसा खर्च हो उतना ही अच्छा है ताकि हमारा मुल्क गरीब न हो। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी अदब से कहना चाहता हूं कि जो रुपया बाहर से आता है, फारेन कन्ट्रीज के लोग हमारे यहां इन्टरवीन करते हैं, और यहां के जो लोग उनकी जेबों में खेलते हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि आप हिन्दुस्तानी हैं तो हिन्दुस्तानी बनकर रहें।...(व्यवधान)...दिल जले जब फरियाद करते हैं तो आसमान भी हिल उठता है। इस देश को आजाद करने के लिए राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़े थे। उस पुराने इतिहास को आप न भूल जाओ। मैं बंगाल से अपील करना चाहता हूं। मैं पंजाब से भी अपील करना चाहता हूं जहां पर आया-राम और गयाराम पैदा हो रहे हैं। मैं बड़ा खुश हूंगा अगर इस बिल को सरकार पूरे रूप में मान ले। उसके बाद हमारी, गोयल जी की और सभी की जांच हो और हरएक अपना अपना हिसाब इमानदारी से बतायें कि कहां कहां से वह आया है।

16.00 hrs.

कल आप ने अखबारों में पढ़ा होगा कि सही मायनों में बतलायें कि कहां कहां से आता है ? उधर के हमारे विरोधी दल वालों की तरफ से कहा जाता है कि हम कांग्रेस वाले इस देश के बड़े बड़े मिल मालिकों से पैसा लेते हैं लेकिन हुजूर हम हिन्दुस्तानियों से ही तो पैसा मांगते हैं। हम टाटा, बिड़ला से पैसा मांगते हैं। ऐसा करके क्या हम कोई गुनाह करते हैं ? यह हमारे देश के उद्योगपति जिन से हम पैसा मांगते हैं यह हमारे देश के भामाशाह सरीखे है। लेकिन मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूंगा कि हम उन की तरह से फौरेन कंट्रीज से पैसा नहीं मंगवाते हैं। अब अगर बिड़ला, टाटा जैसे भारतीय उद्योग-पति कांग्रेस की पैसे से सहायता करते हैं तो उन को बहुत गालियां दी जाती हैं लेकिन इस के विपरीत जो बाहर से पैसा मांग कर ले आते हैं उन को कुछ नहीं कहते हैं। वह तो मानो गंगाजल से नहाये हुए हैं, हरिद्वार गंगा में या त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा कर आये है। मुझे कहना पड़ता है कि मेरे उधर के मित्र "पर उपदेश कुशल बहुतेरे" वाली चीज को ही चरितार्थ कर रहे है। मैं चाहूंगा कि जो भी बात कही जाय वह नपी, तुली हो और वह जहां हम पर लागू हो वहां वह उधर के तमाम मित्रों पर भी समान रूप से लागू हो।

मैं इस हाउस का मैम्बर चला आ रहा हूं। मेरे प्रोफेसर डा० ईश्वरी प्रसाद ने आशीर्वाद दिया और मैं मैम्बर पालियामेंट हो गया। सब से बड़ी बात यह है कि हम सभी लोग यहां जनता के प्रतिनिधि होकर आये हैं। First of all, you must be a member of Parliament. To be a minister is something more; to be the Prime Minister is still something more. But you must first become a Member of Parliament elected by the people, for the people and of the people.

मैं इस बिल को लाने के लिए श्री श्रीचन्द गोयल को धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक बिल के सिद्धान्त का सवाल है हम सब उस से आमतौर पर सहमत हैं। ला मिनिस्टर ने भी इस बारे में एश्योरेंस दिया है कि वह इन लाइंस पर एक अच्छा बिल लाएंगे। लेकिन आज देश में जो वातावरण चल रहा है वह है "कहता बहुता मिले, गहता मिले न कोय" जोकि अवांछनीय है। हम को और उधर के हमारे उन मित्रों को सब को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि जो हम दूसरों को करने को कहें स्वयं उसके अनुरूप आचरण करें। देश की मांग है कि हम जो दूसरों को करने लिए कहें स्वयं उन पर पहले अमल करें।

पिछले अगस्त में जब मैं फारेन कंट्रीज से लौट कर यहां आया था तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि हमारा मुल्क अभी भी दूसरे देशों की तुलना में चीपर हैं लेकिन वी आर ओल लैकिंग इन डिसिप्लिन।" We want moral character of the people. Those who obey can give orders. हम स्वयं जो दूसरों से करने की अपेक्षा करें उसे करके दिखायें।

जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा जहाँ तक इस बिल के सिद्धान्तों का सवाल है हम उन से सहमत हैं और वह सुन्दर सिद्धान्त हैं लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम और आप ठीक ठीक उन के ऊपर चलें।

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : Mr. Chairman, Sir, I rise to support his Bill. I congratulate my hon. friend Mr. Goyal on his having brought this Bill. I also congratulate Government on its acceptance of the principle. Now, if the principle is good and if the Bill is short, I do not see why it should be postponed on the ground that a comprehensive legislation will be brought forward. If we refer to the records of Government, many a good Bill have been buried alive on the promise of a comprehensive legislation. I trust Mr. Govinda Menon will not fall a prey to that general theory of comprehensive legislation which may or may not come but be careful to see that it should come as soon as possible. If there is any delay in bringing the comprehensive Bill because processing of the comprehensive legislation in the light of many proposals made by the Election Commissioner, in the light of the experience of 20 years will take a long time, this very good thing and an acceptable one would be unnecessarily postponed. Therefore, while I do not quarrel with him because he has said that the Bill could lie over until he brings his own Bill, at the same time, I would suggest to him that he should take speedy action to bring forward such a Bill.

The purity of this administration lies in the purity of those who compose the administration. A tree is good if its seeds are good. The fruit of a tree is good if the seeds of the tree are not poisoned. In the case of Government, it is we, the elected Members, that form the seeds of this big tree of Government. Therefore, the purity must begin with us. The purity must begin with those who compose the various legislatures who are responsible for the formation of Government. So, it is very necessary that all of us should have self-discipline.

We have found that the provisions relating to the election expenditure have not been adequate to curb the tendencies which are not good. This particular Bill seeks to strengthen certain ideas of purity in our administrative machinery, the governmenta- machinery and the legislative and Parlial mentary machinery. Unless the party behaves well from the start, they canuot be expected to give a pure administration later when they come into power.

If it is not considered irrelevant, I would like to take you back to 1957, to one incident that happened in 1957. After the General Elections were over, there was a meeting of the All India Congress Committee of Gauhati. A very important member of the AICC who at that time became an ex-Minister asked the President as to what was the amount that had been collected for the purpose of elections and what was the expenditure. A reference to the newspapers of that day will bear out what I am saying. Then the President simply asked, 'Don't you trust us ?'. Then the ex-Minister and an important member of the AICC said, 'It is not a question of trust. I just want to know how much was collected and how much was spent. Then the President looked at the face of the

[Shri Tenneti Viswanatham]

Prime Minister and the Prime Minister looked at the face of the President and both smiled at each other, and all of them looked at these three, and the matter went off. Afterwards I purchased the AICC Bulletins. When I was in the Congress, it was the practice to mention all the donations which we used to collect and give an account of them. So, I thought that if I looked into the AICC Bulletin, I would know the amount collected and the amount spent. I purchased Bulletin after Bulletin, but there were no accounts ; the accounts of the donations collected for election purposes were not mentioned there. It was a very sad state of affairs. Therefore, from that day I was always thinking that there must be some compulsory legal provision calling upon the various political parties to maintain accounts, not only of their regular, routine subscriptions and other things but also of the donations which they collect for any special occasion—it may be for elections, it may be for All India Congress Committee meeting or it may be this or that in respect of Jan Sangh or any party : all of them may be collecting donations for other purposes, for meetings, invitations, delegations and so on. The scope of this Bill is to see that all parties regulate their accounting procedure. There is nothing wrong in this ; it is very good, and as has been said by the hon. Law Minister, it is very good in principle. If it is good in principle, unless the language is bad or the drafting is loose, it should be accepted right on the spot. Anyway, I take it on trust that the Law Minister would bring his Bill soon. I would like to say that there should be no delay in this matter ; the sooner we do, the better it is; we will generate confidence in the country ; nowadays the confidence has been shattered because people do not give accounts. I remember, what happened in my own State. Once, certain people running a transport organisation went to the Minister to request him to see that nationalisation was not proceeded with in those districts. Incidentally, it would appear, they mentioned, "As you remember, we gave Rs. 8 lakhs for the electionfund". Then I was told that the Minister jumped up and said, 'No ; you never gave Rs 8 lakhs : I received only Rs. 2 lakhs.' There was no account either for Rs. 8 lakhs or for Rs. 2 lakhs. These things happen. When these things come to light, what happens ? Nobody will be accountable for anything That is to say, the bonds of society, the bonds of purity, are all loosened, shattered and broken. Therefore, if you want to set up a new kind of society for which, it is proclaimed every day, the Government stands, then we have to begin with ourselves, i,e., we begin with our parties.

A question was raised by the hon. Deputy Speaker about the independents, the individuals. What happens when an individual collects money ? He is not a party, he is not an institution and he does not say that he does it for somebody else.

Everybody knows it is for the individual. If they have trust in the individual, they give ; otherwise, they do not. Certainly if he collects donation for a particular purpose like election or convening a conference or meeting and so on, he should be accountable. I have no doubt that this Bill covers that also.

Therefore, from any point of view, whether it is individuals or Independents or whether they are parties, it is absolutely necessary that they should account for all the donations they receive for such purposes.

There is another reason why this should have been done .....

MR. CHAIRMAN : There is only one hour for this Bill. He should conclude

SHRI TENNETI VISWANATHAM : All right. I support the Bill. I request the hon. Minister to bring forward the comprehensive Bill as earlp as possible.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभापति महोदय, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ श्री गोयल का जिन्होंने इस सवाल को लोगों के सामने रखने की कोशिश की है पार्लियामेंट की मार्फत, जिसके बारे में काफी टीका टिप्पणी बाहर भी होती है और सदन में भी होती है । मैं उनसे एक चीज कहूँगा । उन्होंने कम्यूनिस्ट पार्टी का कुछ लेखा जोखा यहां रखने की कोशिश की है । किसी कांफरेंस का उन्होंने जिक्र किया है । चूंकि मैं उस ग्रुप से ताल्लुक रखता हूँ और काफी नजदीक

हैं कम्यूनिस्ट पार्टी के, इसलिए एक चीज आप की मार्फत श्री गोयल से कहना चाहता हूं कि वह यह भी साथ-साथ बतला देते तो अच्छा होता कि जनसंघ को इतना पैसा कैसे मिलता है चुनाव लड़ने के लिए । वह चुनावों में खेमे की बात को, पोस्टर की बात को या पैम्फलेट की बात को तो छोड़ दीजिये, वह टोपियां इतनी बांट देते हैं कि डर लगने लगता है । पिछले चुनावों में पूरे कानपुर जिले में यह हुआ था कि या तो सफेद टोपी दिखलाई देती थी या पीली टोपी दिखलाई देती थी । उनके सिवा किसी और की टोपी नहीं दिखलाई देती थी । आखिर टोपियों में भी तो कुछ खर्च होता है, वह कोई कागज की तो बनती नहीं है, कपड़े की बनती हैं ।

अब की बार सरमायेदारों ने यह सोच लिया था कि वह कांग्रेस से दिल लगाना छोड़ दें । उन्होंने 60—70 साल तक कांग्रेस से दिल लगाया, लेकिन अब वह बूढ़ी हो गई है, इसलिए 18-19 साल की नई नवेली को पकड़ो । इस बार जनसंघ का सरमायेदारों ने काफी पैसा दिया । पिछली बार आप ने देखा होगा कि कांग्रेस से ज्यादा पैसा शायद जन संघ और स्वतंत्र पार्टी को दिया गया था ।

श्री श्रीचन्द गोयल : हमने सिर्फ सवा लाख लिया था ।

श्री स० मो० बनर्जी : एक सवा लाख के बराबर होता है ।

फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि बजाय इसके कि हम इन चीजों को उठायें, हम को सारी बातें देखनी चाहिए । मैं खुले आम कहना चाहता हूं कि जो भी विदेशी पूंजी यहां लाई जा रही है, चाहे वह रूस की हो चाहे चीन की हो, चाहे अमरीका या कहीं की हो, उसकी खुली जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये और यह मामला तय हो जाये ।

अभी श्री शिव नारायण ने कहा कि हम टाटा से रुपया लेते हैं, बिड़ला से लेते हैं, लेकिन वह देशी रुपया ही तो है । उन्होंने श्री सी० बी० गुप्त की बड़ी तारीफ की । मैं उनको श्रद्धा की नजर से देखता हूं, वह मान्यवर हैं, क्योंकि लड़ने वाले शख्स हैं । लड़ते खूब हैं हम लोगों ने आपने देखा होगा कि जब लोक सभा का चुनाव हुआ था 1967 में तब उन्होंने श्री मोहन को टिकट दिया था, श्री मुल्ला के खिलाफ लड़ने के लिए । हमारे देश में एक अजीब परम्परा है कि अगर कोई कच्ची शराब बनाये, देशी शराब बनाये तो जेल चला जाये, लेकिन अगर विलायती शराब बनाये तो उसको लोक सभा का टिकट दिया जाता है । आप सोचिये कि क्या मोहन नगर का पैसा उनको नहीं मिला होगा, मोदी नगर का पैसा नहीं मिला होगा । राय बहादुर मोदी ने छः मजदूरों का खून किया, गोली से भुनवा दिया । छः मजदूर मारे गये और राय बहादुर मोदी को पद्म भूषण का खिताब मिल गया । अगर गोलियों से मारने पर ही खिताब मिलना चाहिए तो बारह मजदूरों को गोलियों से मरवा दिया चव्हाण साहब ने, वह भारत रत्न के काबिल हैं, पद्म भूषण उन के लिए क्या चीज हैं । चुनाव में कांग्रेस ने जो पैसा लिया है क्या वह उसका हिसाब देने के लिये तैयार है ? हम तो अपना हिसाब देने के लिये तैयार हैं ।

अभी जब उपाध्यक्ष महोदय यहां कुर्सी पर बैठे हुए थे तब उन्होंने कहा था कि जो इंडेपेन्डेंट्स हैं उनसे कैसे हिसाब लिया जाये ? मैं कहना चाहता हूं कि मैं आजाद उम्मीदवार की हैसियत से सन् 1957 से लेकर 1967 तक खड़ा होता रहा हूं । मुझ को सहयोग मिला है सी० पी० आई० (मार्क्सिसेस्ट), एस० एस० पी० और कम्यूनिस्ट पार्टी का, लेकिन मैंने तीनों चुनावों में कोई कैम्प नहीं लगाया । हम लोगों ने कभी पर्चे नहीं बांटे । हम विश्वास करते हैं अपने प्रचार में, अपने सिद्धान्तों में । हम जो 17-18 घंटे रोज मेहनत करते हैं उस पर विश्वास करते हैं । हम कहते हैं कि हमें वोट दो और हम को वोट मिलते हैं । अगर आप मामूली

[श्री स० मो० बनर्जी]

कैम्प का खर्च भी ले लीजिये तो एक-एक कांस्टिटुएंसी में करीब 450 पोलिंग बूथ्स होते हैं। अगर उनमें से हर एक जगह पर कैम्प लगाया जाये तो उसका खर्च करीब 14 हजार रु० बैठता है। पर्चे बांटने में भी, अगर पांच या छः लाख पर्चे बांटे जायें तो, तकरीबन 12–14 हजार के खर्च होता है। इन तमाम चीजों को मिलाकर देखें तो यह सब सही तरीके से कैसे हो सकता है ?

मैं तो कहता हूं कि हमें हिसाब देना चाहिये।

श्री गोयल ने अपने बिल में कहा है कि :

"Every recognised political party shall keep separate and correct account of all the receipts and expenditure partaining to party work and should publish annually a statement of such accounts on such date and in such manner as may be prescribed in this behalf.

हमारी ट्रेड यूनियन में क्या होता है ? हम लोग हर साल अकाउंट देते हैं आडिटेड बैलेंस शीट देते हैं। हम इसके लिये तैयार हैं। लेकिन क्या कांग्रेस भी तैयार है। इसके बारे में रूलिंग पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि बहुत बड़ी पार्टी है और हिन्दुस्तान में तकरीबन 70 साल से चली आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह इसके लिये तैयार है ? उसके पास क्या कोई ऐनुअल अकाउंट्स रक्खे जाते हैं ? नेशनल डिफेन्स फंड का ढाई करोड़ रु० सी० बी० गुप्त ने जमा नहीं किया है सेन्ट्रल गवर्नमेंट में। क्या उसका कोई हिसाब आपको मिला है ? पी० ए० सी० में भी हम ने इसको उठाने की कोशिश की, लेकिन सेक्रेट्री साहब ने कहा कि यह बात सही है, मगर नेशनल डिफेंस फंड का रुपया दूसरा नाम देकर जमा कर दिया है, जिस का संचालन गवर्नर साहब और सी० बी० गुप्त करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि नेशनल डिफेंस फंड किस लिये आया था ? इसलिए कि हथियार खरीदे जायें, जेवरात के बदले हथियार खरीदे जायें और इस धरती की हिफाजत की जाये, मादरे वतन को बचाया जाये, लेकिन दो या ढाई करोड़ रुपया जो मिला उसमें क्या एलेक्शन फंड के लिए पैसा नहीं लिया गया ?

मैं चूंकि उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, इसलिए जानता हूं कि चीनी के कारखाने वालों को फायदा पहुंचा।। क्या यह बात सही नहीं है कि उनसे हमेशा चन्दा लिया गया ? उत्तर प्रदेश में एक मजाक है। वह कहते हैं कि चीनी चन्दा और चुनाव साथ-साथ चलते हैं। मैं कांग्रेस वालों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वह विदेशी पी० एल० 480 का पैसा हो या कोई और देने की कोशिश करता हो, लोगों ने समझ लिया है कि हमारा देश इतना पतित हो गया है कि किसी तरफ से भी पैसा दे कर उसको खरीदा जा सकता है। कितने आश्चर्य की बात है कि हम समझते हैं कि 25 – 30 हजार रु० देकर जो भी चाहे कोई सीक्रेट डाकुमेंट यहां निकलवा सकता है फाइलों से। क्या यह हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं है ? मैं समझता हूं कि यहां पर राजनीतिक दलों का एक कंवेशन होना चाहिए उसमें एक कोड बनाया जाना चाहिये कि इससे ज्यादा पैसा चुनाव में खर्च नहीं किया जायेगा, वर्ना यहां पैसा बांटा जाता रहेगा। यहां पर वोट 2 रु० के हिसाब से खरीदे जाते हैं और बोगस वोटिंग होती है। मैंने देखा है कि एक गरीब इन्सान जो रात में चौड़े में लेटा होता है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसके ईमान को लोग 5 रु० में खरीदते हैं। हम कहते-कहते हार जाते हैं कि ईमान मत बेचो, लेकिन एक तरफ बच्चे की मुसीबत है, बीवी का भूखा और नंगा जिस्म है, जब उसको इन्सान देखता है तो कहता है कि ईमान भाड़ में गया, क्या करना है, जो लंका में जायेगा वह रावण होगा, किसी को वोट दो, हमारी हालत सुधरने वाली नहीं है, और 5 रु० में वह अपना ईमान बेच देता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी संसदीय प्रणाली से वह कलुष दूर हो, वह गन्दगी उसमें न हो, तो हमें कोशिश करनी चाहिये कि हर

एक पोलिटिकल पार्टी वादा करे कि हम हिसाब देंगे। हम लोग तैयार हैं हिसाब देने के लिये लेकिन सब से बड़ी जिम्मेदारी तो कांग्रेस के ऊपर है।

लेकिन एक चीज और कहना चाहता हूँ। बंगाल में झगड़ा क्यों हुआ ? अतुल्य घोष और आशु घोष में झगड़ा क्यों हुआ ? अतुल्य घोष ऐसा व्यक्ति हिन्दुस्तान में किसी जगह सेक्रेट्री या प्रेजिडेंट बनना नहीं चाहता। सिर्फ केशियर बनना चाहता है, ट्रेजरर बनना चाहता है।

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : Please do not mention names ; let us observe the rules.

SHRI S. M. BANERJEE : What rules ?

I was going to say that he does not accept any post right from the beginning. If Pandit Nehru died, Shri Atulya Ghosh should become the cashier of the Nehru Memorial Fund. When Lal Bahadur Shastri died, then he should become the treasurer of that fund. He is actually concerned with this post only. Let anybody die in this country ; he should become the treasurer of that memorial fund which is set up. There was a clash between Ashu Ghosh and Atuly Ghosh in regard to various funds that were organised by the Congress Committee of West Bengal. But there was no enquiry against him. In regard to Biju Patnaik, there was an enquiry ; but against Atulya Ghosh, why was there no enquiry ? Because he is somebody very high up in the Congress hierarchy.

Therefore, Sir, my submission is only this : that this Bill is good. If the hon. Minister wishes to bring a comprehensive Bill on this matter, as he his promised to do, I welcome it. Let there be an open enquiry about foreign money which is given to the various political parties Let not anyone be afraid of the enquiry. I welcome that. But as I said, let the ruling party become an example and a model in this country, so that it may be followed by others. I say it because they are the oldest party, and they had certain traditions previously. I request them to accept the principle of this Bill and bring another piece of legislation which may allay the fears in the mind of so many crores of people in this country, the fear being that many politicians are corrupt. Let not that fear exist ; and the ruling party alone can set an example.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, फारसी में एक कहावत है :

हर कसेरा के हिसाब पाक अस्त
अज़ महासिब चे बाक अस्त।

किसी का हिसाब ठीक हो, तो उसको हिसाब लेने वाले से डर नहीं लगना चाहिये।

हमारे गोयल साहब ने जो यह बिल पेश किया है, इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए थोड़ी है। उनसे भी ज्यादा तारीफ मैं अपने होम मिनिस्टर की और अपने ला मिनिस्टर की करता हूँ, गवर्नमेंट की करता हूँ और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की करता हूँ जिन्होंने इसके बारे में पहले से ही फैसला कर रखा है कि वे एक कम्प्रिहैंसिव बिल इस विषय में लायेंगे। इनका काम तो चौबीसों घंटे कीचड़ उछालना है। लेकिन हमारी नीयत कितनी साफ है, कांग्रेस की नीयत कितनी साफ है, हमारे ला मिनिस्टर और हमारे होम मिनिस्टर की नीयत कितनी साफ़ है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं, कि यह बिल तो माननीय सदस्य ने आज पेश किया है लेकिन हमने एक साल से पहले से ही इसका हल तलाश किया हुआ है कि हमको इस विषय में क्या करना है। ला कमिशन के साथ भी ला मिनिस्टर की बात हो चुकी है, इलैक्शन कमिशन के साथ भी इसके बारे में पत्र व्यवहार हो चुका है। खैर माननीय सदस्य ने जो यह बिल पेश किया है और इसकी ओर गवर्नमेंट का ध्यान खींचा है, इसके लिए मैं उनकी तारीफ किये बगैर नहीं रह सकता हूँ।

असल में समस्या क्या है ? असल में समस्या यह है कि आज इस देश में इलैक्शन बहुत महंगा हो चुका है। गरीब आदमी तो इलैक्शन लड़ ही नहीं सकता है। कोई भी भाई कितना

[श्री रणधीर सिंह]

भी बड़ा लीडर क्यों न बना फिरता हो, वह जानता ही है कि पार्लियामेंट आने के लिए उसने चाहे उतना खर्च न किया हो जितना वाजिब है लेकिन उसके साथियों ने जरूर लाख दो लाख उसके लिये खर्च किया होगा। लाख दो लाख से कम में कोई इलैक्शन लड़ ही नहीं सकता है पार्लिमेंट का। कुछ आदमी हैं जो काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। लेकिन आम तौर पर यह सेवा बन गया है कि यहां आकर जब वे बंगलोज में, और कोठियों में रहना शुरू कर देते हैं तो वे जनता के पास जाना भूल जाते हैं। पांच साल के बाद जनता भी उनको जूते मारती है और उनकी परवाह नहीं करती है। जब उनको इस बात का पता चलता है तो वे पांच साल के बाद अपना हल्का तबदील कर लेते हैं। वे अपने आपको होशियार समझते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि जनता उनसे भी होशियार है। सब पार्टियां अपने आपको होशियार समझती हैं लेकिन जनता उनसे भी होशियार है। पार्टियां समझती हैं कि नेता लोग पार्टी को चलाते हैं और नेता लोग समझते हैं कि वे पार्टी को चलाती हैं लेकिन जनता उन लीडरों को चलाती है इस वास्ते जनता का हमको हमेशा ख्याल रखना होगा।

असल में हमारा देश गरीबों का देश है। असल में बात तभी बनेगी जबकि पार्टिया आदर्श बनकर काम करें। पार्टी के लीडर चाहे छोटे हों या बड़े हों, एम एल ए हों या एम पी हों, वे भीएक आदर्श जनता के सामने रखें, जनता को साथ लेकर चलें। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि सारी लड़ाई आज इस बात की है कि किस तरह से किसी की वजारत बने और किस तरह से किसी की बजारत टूटे। सारा जोड़-तोड़ इसी के लिए किया जाता हैं। पैसे का फिर बीच में नाटक चलता है। यह असली कमजोरी है। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं लेकिन यह सुना जाता है कि तीन चार लाख रुपये में तो चीफ मिनिस्टर बनते हैं और दो तीन करोड़ रुपये में हिन्दुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनता है। जहां यह चीज बीच में आ जाती हैं वहां पैसे वाले जो मगर मच्छ हैं, चाहे बिरला हो, या टाटा हो, बड़ा जमीदार हो या कोई व्यापारी हो बड़ा, वे सामने आ जाते हैं। वे कहने लग जाते हैं कि हम इतना देंगे, बोलो, तुम हमारे लिये क्या करोगे। जब उनके कारखानों के लिए सहूलियतों की बात चलती है तो आया राम, गया राम की बात शुरू हो जाती है। फिर वजारतें टूटने की हवा चलती है। कभी यह वजारत टूटती है और कभी वह टूटती है, कभी बिहार में टूटती है, कभी पंजाब में और कभी हरियाणा में और कभी कहीं और। इस तमाशे को मैंने भी देखा है। कोई पार्टी इससे बरी नहीं है। लंका में सभी बावन गज के है। अन्दर से सभी नंगे हैं। हमाम में सभी नंगे हैं। यह है नमूना इखलाक का जो हम सभी देश के सामने रखते हैं।

मैं गलत बात नहीं कहता हूं। जिसके हाथ माया लग जाती है वह बड़ी पार्टी बन जाती है, मजबूत पार्टी बन जाती है। किसी पार्टी को तो यहां से पैसा मिल जाता है और जिसको यहां से नहीं मिलता है उसको बाहर से मिल जाता है। यहां पर ट्रैक्टरों की बात चली थी रूस से वे ट्रैक्टर आने थे हजारों की तादाद में आने थे। लेकिन उनके आने में अभी भी देरी की जा रही है। उसमें भी एक राज की बात है। रूस इन ट्रैक्टरों को किसी एक खास एजेंसी की मार्फत भेजना चाहता है लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार और बाबू जगजीवन राम जी उसको नहीं मानते हैं! हम जानते हैं वह एजेंसी कौन सी है। उसकी मार्फत अगर वे आते हैं तो उसका रुपया उस एजेंसी के हाथ में जायेगी, जिस एजंसी के पास रुपया रूस चाहता है कि जाए, उसके पास हम जाने नहीं देना चाहते हैं। हमें मालूम है कि किस पार्टी के पास पैसा यह जायेगा। आप कहां के आदर्शवादी हैं? हमें मालूम है आपके पास पैसा कहां से आता है। छः छः महीने और साल साल

दो-दो साल बाद आप रूस, अमरीका, चीन आदि देशों का चक्कर लगानें चले जाते हैं। घर में तो दाने नहीं हैं लेकिन हवाई जहाज से सफर आप करते हैं, और वह भी वह हवाई जहाज जो एक हजार मील फी घंटा की रफ्तार से जाता है। जिनके पास सोने के लिए खुलड़ी नहीं है वे हवाई जहाज से सफर करते हैं। ज्यादा बढ़चढ़ कर बात करना ठीक नहीं है। सबको पता है कहां से पैसा आता है।

एक भाई ने फरीदाबाद का जिक्र किया है। मैं कहूँगा कि इस बात को यहीं रहने दो तो अच्छा है। इसको न छेड़ा जाये तो अच्छा है। मैं भी एक कैम्प में गया था जोकि दूसरी पार्टी का कैम्प था। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। फरीदाबाद में तो बीस या तीस लाख ही खर्च होंगे लेकिन उस कैम्प में जहां मैं गया था देखने के लिए पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ,— चालीस लाख रुपया खर्च किया गया था। वह पैसा कहां से उनके पास आ गया ? हर एक पार्टी के लीडर बाहर जाते हैं। कोई कहता है मैं अमरीका जा रहा हूँ, कोई कहता है मैं इजराइल जाऊंगा, कोई कहता है मैं फरमोसा जाऊंगा, कोई कहता है मैं वैस्ट जर्मनी जाऊंगा। कोई कहता है मैं वहां जाकर हिन्दुस्तान का भला करूंगा, कोई कहता है कि मैं इम्पीरियलिज्म को खत्म कर दूंगा, कोई कहता है कि कम्युनिज्म को खत्म करने के लिये जाऊंगा। दूसरे देशों की तरफ ये लोग देखते हैं, अपने देश की तरफ नहीं देखते हैं। बाहर के देशों का भी अपना इंटररेस्ट है, अमरीका का भी है, रूस का भी है, हंगरी का भी है, चैकोस्लोवाकिया का भी है, चीन का भी है, पैसा सबको बहा देता है उल्टी तरफ। देर से ही सही, लेकिन अब भी अगर इस बात को समझ लिया जाये तो ठीक होगा। बटर लेट दैन नैवर।

इस बिल का जो उद्देश्य है वह अच्छा है। लेकिन मैं कहूँगा कि शीशे के महल में रह कर दूसरों पर पत्थर नहीं फैंकने चाहियें। अगर आपने ऐसा किया तो शीशे का महल टूट जाएगा। मुझे पता है कि दूसरी जो पार्टियां हैं उनकी क्या हालत है मैं नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक आदर्श पार्टी है। अगर वह डैविल हैं तो आप डबल डैविल हैं। कांग्रेस फिर भी आपके मुकाबले में शराफत से काम करती है। हमारे शिव नारायण जी ने एक बात कही और उनकी उस बात को आप बुरा मान गए। उनकी बात बिल्कुल सही थी। उन्होंने कहा कि हम तो देशवासियों से पैसा लेकर उनको रसीद देते हैं लेकिन ये तो विदेशों से पैसा लेते हैं। पैसा लेने की जहां तक बात है इसमें एक पार्टी नहीं सभी पार्टियां डूबी हुई हैं। क्या हिसाब लोगे। फिर आप देंगे भी क्या अगर कोई आपको यहां पैसा दे देगा। आपके पास है भी क्या देने के लिए ? किस को कोई पैसा देता है ? उसी को तो देता है जिस के हाथ में राज्य सत्ता होती है। जो पैसा देता है वह भी बड़ा होशियार होता है, वह भी देखता है कि उसको कुछ फायदा पहुंचे। भूखे बंगालियों को कौन पैसा देगा ?

जो बिल आया है इसके पीछे जो स्पिरिट है उसकी मैं ताईद करता हूं। गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूं कि वह डिले न करे। गवर्नमेंट को इन मामलों में खुद इनिशिएटिव लेना चाहिये था और उसने लिया भी। उसने पहले से कह रखा है कि वह एक कम्प्रेहैंसिव बिल इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाएगी। पहले आप उसको लाते। तब लोगों को पता चलता कि कांग्रेस इस चीज को कर रही है। इन लोगों की यह हैबिट बन गई है कि जो कांग्रेस करने वाली होती है, गवर्नमेंट जो करने जा रही होती है, उसको ये लोग भी करना शुरू कर देते हैं। उस चीज को ये उसी तरह से यहां पेश कर देते हैं। ये समझते हैं कि उनको इसको करने का क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि क्रेडिट अपोजीशन को नहीं मिलेगा। कांग्रेस को ही इसका क्रेडिट मिलेगा। कांग्रेस वाले ही पहले से सोचकर कर चुके हैं कि वे इसको करने

[श्री रणधीर सिंह]

जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक कम्प्रिहैंसिव बिल जिसमें आर पी एक्ट में तरमीमें दर्ज हों, पेश किया जाए। यह बहुत अहम है। इलैक्शन लड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। राजे और नवाब ही इलैक्शन लड़ सकते हैं। पैसे वाले ही लड़ सकते हैं। हमारे बनर्जी साहब ने कहा कि पांच पांच रुपये में आदमी बिकता है। इसका इलाज करना होगा। रातों रात में इलैक्शन का नक्शा बदल जाता है। रातों रात में जो हवा है वह बदल जाती है। जितनी खामियां उस एक्ट में है उनको दूर करने वाला आप एक कम्प्रिहैंसिव एमेंडमेंट बिल लायें। मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस वक्त इस बिल को वापिस ले लें। सभी पार्टियां बैठें, सभी पार्टियों के लीडर लोग बैठें और एक कोड आफ कंडक्ट इवाल्व करें और उसका पालन होना चाहिये। सब को पूछ कर कुछ किया जाना चाहिये इसके बारे में। देश की पोलिटिकल लाइफ में पाकीजगी लाई जानी चाहिये और ऐसा करना एक पार्टी का काम नहीं है, सभी पार्टियों का काम है। इस देश में गरीबों की नुमाइंदा हुकूमत बन सके, सब पार्टियां गरीबों की नुमाइंदा हो सकें और जनतन्त्र फल फूल सके, इसके लिए सभी को कोशिश करनी होगी।

मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे समय दिया।

SHRI S. KUNDU (Balasore): Mr. Chairman, the mover of this Bill has raised some important political and moral questions. But, after carefully going through this Bill, I have my grave doubts whether the questions he had raised, political and moral, donation by big people to political parties corrupting the body politic and the democratic system, etc. would be solved by the provisions of this Bill. I have my honest doubts about it.

If we critically analyse this Bill, it says only one thing. It says that you must make the publication of accounts by political parties compulsory. It does not say anything about the source from which the money has come or what are the fronts and organisations which gave the money. I think some of the organised political parties in their annual conferences do present audited accounts. But that will not solve the problem.

16 32 hrs.

[Shri R. D. Bhandare *in the Chair*]

I was very carefully listening when one of our senior members, Shri Tenneti Viswanatham, was speaking in support of the Bill. Money is received by political parties on some occasions for which there is no accountability now. So, even if you pass this Bill, it will not meet the problem. The Bill simply says that if the political parties receive donation and they do not publish correct audited accounts, their recognition will be withdrawn. Suppose the reception committee formed to organise the AICC somewhere receives about Rs. 2 crores as donation; it may not come within the purview of a political party. Similarly, if a youth congress or women's front receive some donation, it will also not come within the purview of this Bill, because they are not political parties as such.

I would very much like to see a comprehensive Bill which will go into the root of the trouble. Today the problem is not whether some party is keeping an account or not. The problem is, a lot of money is flowing into the coffers of certain political parties like the waters in the Ganges. In a poor country like ours if political parties get large sums of money, it is bound to corrupt people. It will endanger democracy and so it has to be prevented.

In China, Indonesia and many other countries people who were once regarded as patriots fell like a pack of cards the moment it was known that they have become corrupt. In 1956 President Sukarno was regarded as one of the most patriotic men in Asia. People of Indonesia used to call him Bung Sukarno, meaning brother Sukarno. When I was in Indonesia in 1956 I saw university students admiring and worshipping him like a god. In course of time, political parties and industrialists

(both foreign and local) corrupted him so much that his image was tarnished and he was completely wiped out from the political scene.

Thereby democracy also received a very big jolt and democracy had to bid goodbye there ; some sort of a military junta came in its place.

Therefore this Bill, as it is, which just seeks the publication of accounts, would not serve the need. Therefore I do not give my opinion on it. Shri Goyal is a good friend of mine. He says very frankly that he does not bother who gives money ; he just wants an account. If I have understood anything of his speech, he was very vehement that no money should be given by foreign parties and organisations. That is correct but where is the indication for its ban in the Bill ? Where does it say that no foreign money should be given ? That he has delegated to the Government, according to clause 2, which says that the account shall contain such particulars as may be prescribed, that is, prescribed by Government.

I think, the need of the time is that the source must be attacked. We must say that no moneybag can interfere in our politics. He has diagnosed the disease but, he would pardon me, his prescription is defective—rather, quite a lot defective. Therefore if the Law Minister brings forward a comprehensive Bill, I would urge upon him that he must see what are the factors that go to corrode the base of our democratic life and system and how by suitable legislation we can stop it.

Take, for example, the elections. I personally feel that the election rules are defective. A MLA can spend Rs. 7,000 or something like that on his election but some spend much more than that, perhaps lakhs. I have personal knowledge of that. But they just give an account which is below Rs. 7,000 and the account is accepted. They go scotfree.

SHRI S. KANDAPPAN (Metter) : Personal experience or personal knowledge ?

SHRI S. KUNDU : I am a poor man; I do not have that much.

So, I would urge upon the Law Minister to find out—analyse and scrutinise—how the law could be made more effective. I have seen with my own eyes even in municipal elections in a poor State like Orissa jeeps are used. In one ward two or three jeeps were running. What can you do about that ?

The Judges also have become very much critical. They just do not want to dismiss a petition : they want material particulars and something more to be proved than beyond reasonable doubt. I think, it is good. But the law has to be examined criticaliy to see how moneybag politics does not go to corrode our democratic system. We must see that big business and capitalists stop giving money to political parties. It is not a question of Swatantra vying with Congress or Jan Sangh vying with Swatantra as to who gets more money ; it is the question of the entire Indian body politic.

SHRI LOBO PRABHU : What about trade unions' contributions to your funds ?

SHRI S KUNDU : I know, you have always opposed trade unions.

SHRI LOBO PRABHU : They also contribute money to elections.

SHRI S. KUNDU : They shonld contribute. Such class organisations which support political organisations should contribute to political parties' funds.

I will not speak anything more on this. This Bill does not come up to my expectation : therefore I should not say anything, neither support it nor oppose it. Shri Goyal is a good friend of mine.

SHRI K. NARAYANA RAO (Bobbili): Mr. Chairman, though the underlying objects of this Bill are quite laudable and desirable, I am rather skeptical about the utility of this particular measure. We have to identify for what particular purpose we are legislating this piece of legislation. We have recoganised that the business community and the foreigners have been entering in a big way under different names, indirectly, and are corrupting the political life of the country and we want to cut it short by certain measures. But can we ? Will it be the proper measure that can serve our purpose ?

[Shri K. Narayana Rao]

Our friend, Shri Randhir Singh, has properly pointed out that there is no use accusing one party, only for the limited object of winning a temporary triumph over that party.

This is a matter which must call for the nation's conscience. In this context, we have to see certain political realities. What are those political realities ? In a vast country like India, for a Member of Parliament to operate for one and half months in the constituency the minimum expenditure required is about Rs. 30,000. But the law provides Rs. 25,009. Even the bare minimum of expenditure will exceed Rs. 25,000. But there are people and people who cannot afford even that much of it. There are two classes of candidates who go to the people. One is a person who is really rich and who can afford any amount without the assistance of political parties and there are people who do require a bit of assistance from the political parties. This is a hard political reality in the context of our costly elections. After all, this is a world phenomenon. It is not peculiar to India alone. If we have to operate on the scale which is a costly one, everywhere, the political parties are being assisted, even in this country. It is only the shape that changes.

So far as the Congress Party is concerned, the major accusation is that big business people are giving money to the Congress Party. That is a matter on which there may be a lot of controversy. So far as the Congress Party is concerned, the alleged source is India. There is a provision made in the Company law. Supposing a company is giving money to a political party, that will be shown in their records. The party which receives the money will also put it in their records. We are now talking of putting a ban on the donations to be given by the companies to political parties. That is a bigger issue which we will discuss later. So far as the donations by companies are concerned, they may have an influence on the policy-making or in obtaining licences. So far as the licences are concerned, they need not necessarily corrupt the political party. They can operate in the best way through Oberoi Hotels and through the bureaucracy. Therefore, the incidence of danger to our political life is very much limited.

Coming to the foreign sources, we have to identify what are the various subtle ways through which foreign money is being pumped into the political life of our country. My friends there talk about P.L. 480 funds about which we have been discussing very often. Similarly, about the rupee-payment agreements with East European countries, there is an awareness amongst the people that certain political parties in this country are indirectly getting help through rupee-payment agreements. Whether this is true or not, I am not going to say much about it.

What I submit is, as my hon. friend, Mr. Kundu rightly pointed out, that this Bill is not adequate. The mere sending of report is not adequate without disclosing the source of the money. Secondly, there is nothing in the Bill which prohibits the black money being received. The black money operates and if the black money is given to a political party, it will never find an entry into any records. The black money is earned by violating the Company law regulations. Such being the case, supposing the Bill had been there, if the companies give their black money, it will never find an entry into the records. That is not legally permissible. If that is legally permissible, they will, certainly, make an entry and send it to the Election Commission. If the donations are not legally permissible, they will never find an entry into the records. This is a vicious circle. I do now know how to break it.

I am sure, so far as our objective is concerned, this Bill can never achieve it. With these remarks, I would like to withhold my final opinion about the merits of the Bill.

श्री रवि राय (पुरी) : सभापति जी, मैं गोयल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक निजी विधेयक के जरिये संसद का ध्यान एक अहम मसले की ओर उन्होंने खींचा है। सवाल इस बात का है, हमारे देश में जो सब से बड़ी कमजोरी है वह यह है कि कथनी और करनी में बहुत अंतारतम्य है, बहुत पार्थक्य है।

एक बात कहो और काम में बिल्कुल उलटे करो, यह हाल है। मैं भाई रणधीर सिंह का भाषण सुन रहा था। मैं आप के जरिये उन को कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस दल एक बड़ा राजनैतिक दल है हिन्दुस्तान में। पिछले 20-22 साल से हिन्दुस्तान के शासन की बागडोर इस दल के हाथ में है लेकिन जिस दल के हाथ में लगातार 20-22 साल तक शासन रहा उसी दल का यह कर्त्तव्य था कि वह इस बारे में सोचे कि बिग बिजनेस हाउसेज, पूंजीपति, विदेशी पूंजीपति और देशी पूंजीपति, इनका प्रभाव देश के राजनैतिक दलों पर न हो ताकि देश में हम प्रजातंत्र को मजबूत कर सके। सभापति जी, आप स्वयं सुबह के वक्त मौजूद थे, आप जानते हैं कम्पनी डोनेशन बिल के सिलसिले में क्या चर्चा हुई? मेरे पास डा० राम सुभग सिंह की चिट्ठी मौजूद है। वह चिट्ठी 19 नवम्बर को उन्होंने लिखी थी। हम ने उस से पूछा था कि आप कम्पनी डोनेशन बिल कब लाएंगे, और यह संसद में मूव हो चुका है, लेकिन अभी भी उसको लाया नहीं गया है क्योंकि जो पिछले आम चुनाव हुए उस के पहले तो कम्पनी वाले कांग्रेस को ही पैसे देते थे, इन्होंने सोचा कि यह जो मध्यावधि चुनाव हुआ इस के पहले उस बिल को लाएंगे तो कम्पनी वाले कांग्रेस को पैसा नहीं देंगे, इसलिए उसको टाल दिया और देखिए कितनी ईमान में कमी है कांग्रेस दल के, यह नवम्बर में लिखा है हमको :

> "All the same, we hope to provide time for consideration of this Bill soon after the disposal of the Bills replacing Ordinances and the voting of Supplementary Demands for Grants."

यह पिछले सत्र का है। पिछले सत्र का यह डा० रामसुभग सिंह का खत है। यह सरकारी बिल था। इनका कर्तव्य था कि इस बिल को सामने लायें और पास करवायें ताकि सारे देश का राजनीतिक वातावरण निर्मल हो क्योंकि यह बिल पास होगा तो कांग्रेस के लिए भी होगा और विरोधी दल के लिए भी होगा। आप काको का किस्सा जानते हैं। काको जो संस्था बनी थी सीमेंट की, तो काको से स्वतन्त्र पार्टी को पैसा मिला और कांग्रेस पार्टी को पैसा मिला। उन्होंने बांट कर दिया। उसकी यहां पर बहस हुई तो उसको भी भंग कर दिया। सवाल यह है कि बिरला, डालमिया, जैन, टाटा इनका हाथ इनकी पीठ पर है और ये कांग्रेस वालों को चन्दा देते रहे हैं। 1967 के पिछले आम चुनाव के बाद यह अच्छा हुआ कि बड़े बड़े पूंजीपति लोग अब बांट कर पैसा देते हैं। सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं देते हैं, बांटकर देते हैं, इसलिए अच्छा हुआ कि कांग्रेस वालों के दिमाग में यह चीज आ गई कि इस तरह का बिल आना चाहिए। मैं एक देहात की घटना बताना चाहता हूँ। गांधी जी के जमाने में गांधीजी की एक नीति थी कि गरीब लोगों से वोट और गरीब लोगों का पैसा। वह मांग मांग कर, हाथ बढ़ा बढ़ा कर हरिजनों के लिए पैसा इकट्ठा करते थे लेकिन आजादी के बाद जब पूंजीपति और बड़े बड़े लोगों का प्रभाव कांग्रेस दल में बढ़ गया तो फिर उसमें पूंजीपतियों के ऊपर निर्भर करना, यह कांग्रेस दल की नीति बन गई जिसके चलते ये लोग इनकी राजनीति पर भी हावी हो गए। न्यूयार्क टाइम्स में पिछले आम चुनाव के बाद राजनीतिक दलों के नाम निकले हैं कि हिन्दुस्तान के कौन कौन से दल विदेशों से पैसा लिए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी एम० एस० पी० को छोड़कर सब का नाम था और यहां हम लोगों ने मांग की, इसमें सब विरोधी दल भी शामिल थे, चव्हाण साहब से हमने आग्रह किया कि आप बाकायदा सी० बी० आई० से इक्वायरी करके सारी रपट को सभा पटल पर रखिए। आप जानते हैं कि पिछले साल से मांग करते करते अभी तक भी चव्हाण साहब ने वह रपट नहीं रखी। उनका बयान आया कि हम समरी रखेंगे लेकिन अभी तक वह समरी भी संसद के सामने नहीं आई है। मैं आपसे सविनय अनुरोध करता हूँ कि यह देश का मसला है। देश के सभी राजनीतिक दलों को यह सोचना चाहिए कि कैसे विरोधी दल और कांग्रेस दल, जिनके बारे में

[श्री रवी राय]

एक विदेशी राष्ट्र के अखबार में इस प्रकार छपा हैं...(व्यवधान)...

16.50 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker *in the Chair.*]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि विदेशी अखबार ने हमारे राजनीतिक दलों के बारे में कितनी लज्जाप्रद चीज प्रकाशित की है। न्यूयार्क टाइम्ज़ ने राजनीतिक दलों का नाम देकर लिखा है कि ये लोग सी० आइ० ए० संस्था से पैसा लेते हैं। इस खबर की सी० बी० आई० रिपोर्ट अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। हमारे राष्ट्र के लिए यह कितने अपमान की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूँ। 1952 में स्वर्गीय डा० लोहिया अमरीका गये थे। आप श्री नामन थोमस, जो अब मर गये हैं, को तो जानते ही होंगे, वे अमरीका की सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। श्री नामेन थोमस ने डा० लोहिया से कहा कि आपके पहले आम चुनाव में अमरीका के मज़दूर लोग हिन्दुस्तान की सोशलिस्ट पार्टी को चुनाव के लिये कुछ रुपया देना चाहते हैं। डा० लोहिया ने श्री नामेन थोमस से कहा आपकी सहायता के लिये धन्यवाद, हम लोगों ने गांधी जी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय आन्दोलन में काम किया है, हम ने उन से एक बात सीखी है कि विदेशी पैसा लेकर हम हिन्दुस्तान में चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने वह रुपया लेने से इन्कार कर दिया।

इस बिल के बारे में गोयल साहब अभी बता रहे थे कि ला-मिनिस्टर ने ऐसा कहा है कि वह एक कौम्प्रिहैन्सिव बिल लायेंगे। अगर उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है ती अच्छी बात है, मैं गोयल साहब से कहूँगा कि वह अपना बिल वापस ले लें। मैं चाहूँगा कि वह इसी सत्र में एक ऐसा कम्प्रीहैन्सिव बिल लायें, जिसमें ऐसी व्यवस्था हो कि हर एक राजनीतिक दल अपनी आय और खर्च का हिसाब इलैक्शन कमीशन को दे।

इन शब्दों के साथ मैं गोयल साहब के बिल का समर्थन करता हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER - I will have to ration the time now.

SHRI LOBO PRABHU ; I had tabled amendments.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is to the clauses.

SHRI LOBO PRABHU : I was presiding over the Estimates Committee. So I could not come earlier.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The time allocated was two hours only. At the initial stage, on a point of order, the Law Minister intervened to say that Govetnment were going to come forward with a comprehensive amending Bill. I have now four more names here. I am afraid Shri Kanwar Lal Gupta has come on the scene late.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : No. But if you do not permit, I bow to you.

MR DEPUTY-SPEAKER : I have to give some time to the Law Minister. I do not know whether he will accept the suggestions made. I have to give a little time to the next Bill also.

SHRI SHRI CHAND GOYAL : There is no half-hour discussion today as Shri S.C. Jha is not here.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That I cannot say. We have to see. Shri Sreedharan.

SHRI A. SREEDHARAN (Badagara) : We are passing through a crucial period in the history of our political democracy. Our democratic system has confronted many obstacles and difficulties during the last 22 years, and the dangers that threaten it today are mainly two, namely, the threat from communalism and regionalism and

that posed by the influence of money and wealth on political parties.

I am glad that at long last the Government had opened their eyes to this reality and the Law Minister has assured as that he would bring forward a comprehensive Bill. However, I am a little sceptical in believing him because of our past experience. The Congress Party was pleged to abolish the privy purses since it accepted democratic socialism at least for the sake of propaganda ; the Home Minister said that necessary steps should be taken to implement it immediately But nothing has come out so far. Similarly, a very valuable report on the growth of monopolies in this country was on the anvil of this House and we understood that steps would be taken to prevent the growth of monoply capital here. I refer to this because monoply capital plays a big part in shaping the policies and programmes of certain political parties. If the principle of this Bill is accepted and a comprehensive Bill is brought forward, one great advantage that would flow is that the class character of every political party will become clear and we shall be able to know from what sections each political party is drawing its funds. The Congress Party gets money from high finance capital though they say they want democratic socialism. If this Bill is there, they will not be able to befool the people that way. An hon. Member from the other side said that political parties all over the world were doing that ; I do not think he was correct. There are political parties which believe in progressive reforms and certan types of socialism and they do not take money from the capitalist class. For instance, the British Labour Party—I do not subscribe to their views is true to its profession and for their election fund and day to day organization work and also for carrying forward their programme, they collect money only from the trade unions. I do not have much knowledge about what the Conservative Party does but if I remember aright, that party does not go and knock at the doors of the trade unions to get money. But here we talk of some ideology but we collect money from the capitalist class. Shri Randhir Singh—he is not here now—said that foreign money was flowing into this country in many forms and I agree with him. It comes through various sources. I come from a small party in one of the small States of India and no foreign power will want to give money and we do not take money from any foreign power. I should like to ask the Congress Party : You have governed this country for the last 21 years. What have you done to stop this flow of foreign funds into India ? What precoutionary steps have you taken ? There is the secret police ; there is the Central Intelligence ; there are embassies all over the world. You have all the machinery at your command ? Did you ever try to find out how the money is flowing into this country and how it is being utilised to erode and corrode the democratic system in this country ?

AN HON. MEMBER : Name the parties receiving money.

SHRI A SREEDHARAN : If I were in Mr. Chavan's place, I would have named them ; I do not have a comprehensive list. The biggest culprit is the Congress Party. When the Law Minister brings forward a comprehensive Bill, he should incorporate a provision that Ministers should not be permitted to collect funds for their political parties. During the by election at Nagercoil, 1200 cars plied for the Congress candidate

Where did the car come from ? Did it come from the poor peasantry of Nagercoil ? In my State of Kerala, it is reported that for the mid-term poll, the Law Minister collected huge amounts. All sorts of pressures are brought upon the people. All sorts of stresses are brought to the people when Ministers collect funds and when the party collect funds, because they have the authority of the Government behind it. If cleanliness has to be inculcaated in our public life, political parties should also become clean. There should be a legislation to find out which party stands for which class of people in this country.

17 hrs.

SHRI GOVINDA MENON : Did he refer to me when he mentioned Law Minister ?

SHRI A SREEDHARAN : Certainly.

SHRI GOVINDA MENON : Then I deny it.

SHRI A SREEDHARAN : I did not refer to any other Law Minister ; there are several Law Ministers in the country, but I referred to the Law Minister of the Government of India.

SHRI GOVINDA MENON : I had nothing to do with the elections.

SHRI A SREEDHARAN : Anyway, that is the rumour in my State.

SHRI GOVINDA MENON : There is no such rumour.

SHRI A SREEDHARAN : Well, he has no time for his work. He is always touring that State and asking the people there to subvert the United Front Government. Now that he has raised that question, I am replying. Otherwise, I would not have done it. He has no time to devote to his portfolio. If he gets a recess of two or three days, he flies there and tells the people that we are giving you help and you try to subvert the United Front Government. (*Interruption*).

AN HON. MEMBER : An accusation.

SHRI A SREEDHARAN : It is not an accusation ; it is a reality. Sir, I support the principles of this Bill, and I hope that the Government will not lose time in bringing forward a comprehensive legislation, because this measure is badly needed in the present circumstances, and it should be implemented immediately.

With these words, I close.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : Sir, all sorts of wild allegations were made. Is it proper that such things can be said ? I suggest that they should not go on record.

MR. DEPUTY-SPEAKER : All the while, various allegations were made by spokesmen of various parties against the orther parties, and the justification was that only that the other party is responsible. Now, therefore, more or less they have cancelled each other out. Let us forget it.

SHRI R. D. BHANDARE : It is about an individual. He referred to the Law Minister.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Then, I agree. Individual names should not be mentioned. That should be avoided. It is not proper.

SHRI A SREEDHARAN : I only said that he collected funds. I did not say that he has taken bribes.

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : Sir, I am proceeding from the stage that a comprehensive Bill is goiug to be presented before this House Therefore, it remains for us here to lay the groundwork for that comprehensive Bill. Mr. Goyal's Bill is good as it goes, but as I have already indicated in my amendments, it has to be confined to the elections : The money spent on elections and not on other activities of the parties. The Election Commission can only be concerned with elections and not with the political behaviour of the parties.

I would now think of this groundwork like this. What are the sources on which the political parties have been drawing ? It is admitted that there are donations from business and industrial interests. It is admitted that there are donations from trude unions for parties that they support. It may be denied but it cannot be controverted that the third source from foreign countries, particularly from communist countries which under the rupee trade are able to claim an allowance of 10 per cent on their supplies as their charge for their agents.

That 10 per cent is paid by the whole country. Anything we buy from communist countries is about 30 per cent above the world price. To that extent, the whole country is financing the communist party, because the Government allows, let that be noted, 10 per cent as handling or agency commission for supplies from communist countries.

The fourth source is personal friends, supporters or even those who are expecting favours from the candidates. What are we going to do with them ? It is legitimate that every person or iuterest should support that party which is representing him in the legislature, with vote or with note or notes. That is the idea of democracy. Would you say that only trade unions are pure because their money is small and it comes from a large number

of people and the money of industrialists is not pure because it comes from audited accounts ? That is the first issue the hon. minister must consider. He must consider all kinds of contributions to party funds.

About the fourth source, nothing much can be done. But the minister should consider that what is given to the party is a small fraction of what is received by the leaders of the party. Have you got some provisions to check that ? If not, this will provide a new process for receiving money—a certain portion which is given to the party is checked, but a larger position which is received by the leaders is not checked.

I agree that large amounts in donations should not be given where a certain favour is expected. But have the various parties—socialist, communist and other parties—found out why donations are given ? They are given because of the permit licence raj. If we expect any real change, it must come from the end of the permit licence raj system, for which my party stands. We stand for this purity in life. We do not want to give the ruling party—it is the Congress today, it may be some other party tomorrow—an opportunity to obtain these donation. Therefore, I would request the mover, the minister and the country to make up their minds to condemn the Statist form of Government, to condemn this kind of trade with communist countries which allows for these commissions which makes our country pay for the communist party. If you are not propared to face these issues and come with a Bill which meets only some of the obvious sources of income, you are not serving either the purpose of purity in our public life or the purpose of clean elections and democracy.

श्री शिंकरे (पंजिम) : उपाध्यक्ष जी, श्री गोयल जी ने इस सदन के सामने जो विधेयक पेश किया है, उसके बारे में तो कोई दो रायें हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है वह सभी पार्टीज को मान्य होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक के लाने के बाद ही, जो उनका उद्देश्य है वह सफल होगा ? मैं तो समझता हूं जब तक हम अपना करैक्टर बिल्ड-अप नहीं करते हैं, हर एक पार्टी की इन्टेग्रिटी बिल्ड-अप नहीं होती है, तब तक इस बिल को लाने से क्या फायदा होगा ? इसलिए पहला प्रश्न तो यह है कि हम आत्म-निरीक्षण करें और उसके पश्चात् इस बात का प्रयत्न करें कि ऐसी जो गलत बातें होती हैं, वह न होने पायें। यहां की जो पार्टीज हैं उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि वे हमेशा लोकल कैप्टेलिस्ट्स से पैसा लेती है।

जो इस देश में विदेशी कम्पनियां हैं उनसे भी राजनैतिक पार्टियां पैसे लेती हैं। यह भी कहा जाता है कि जो यहां इम्बैसीज हैं उनसे भी यह पोलीटिकल पार्टियां पैसे लेती हैं। ऐसे जो हमेशा इल्जाम लगाये जाते हैं उनके बारे में हमें सोचना पड़ता है कि उनके बारे में हमारे मुल्क के लोग आखिर क्या कहेंगे ? नेशन का कैरैक्टर क्या हो गया है ?

जहां तक इस विधेयक के सिद्धान्तों का सवाल है किसी को इस पर मतभेद नहीं हो सकता है और सब ही इसका स्वागत व समर्थन करेंगे। यह विधेयक मैं चाहता हूं कि पास भी हो जाय लेकिन खाली विधेयक पास करके संतोष कर लेने से काम चलने वाला नहीं है। देश की सभी राजनैतिक पार्टियों को अपने तद्नुसार आचरण से भी इसे सिद्ध करना होगा। अब हालत यह है कि हमेशा ही मेरे प्रदेश में लोक सभा के बारे में यह प्रश्न जनता द्वारा पूछा जाता है कि कितने वहां पर बिड़ला के लोग हैं और कितने टाटा और जे० के० है ? कांग्रेस में कितने हैं, स्वतन्त्र पार्टी में कितने हैं, जनसंघ में कितने हैं और माओ के कितने लोग हैं ? लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि वहां तो केवल जनता के प्रतिनिधि रहते हैं और इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूं ? अब हमें तो यही कहना पड़ता है कि जो पार्लियामेंट में जाते हैं चूंकि उनकी इंटैग्रेटी को मान्य करते हैं इसलिए उन्हें बतौर मेम्बर के पार्लियामेंट में भेजा जाता है। लेकिन हमें ऐसे प्रश्न सुनने पड़ते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जनता के जो प्रतिनिधि हैं, उनकी इंटेग्रेटी पर शक आता है। यहां पर हम देखते हैं कि अभी एक मेम्बर

[श्री शिंकरे]

ने हमारे ला मिनिस्टर साहब मेनन जी पर इलजाम लगाया कि उन्होंने पूंजीपतियों से पैसा लिया, उनकी पार्टी ने पैसा लिया लेकिन जब उनको चुनौती दी गई तो वह बाद में कहने लगे कि ऐसी अफवाहें फैली हुई हैं। इसी तरह से यह रूस या अमरीका या ब्रिटेन इम्बेसीज से पैसा लिये जाने की अफवाहें भी हो सकती हैं। अब इसके लिये पहली चीज तो हमें यह देखनी पड़ेगी कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी इंटैग्रेटी है या नहीं। कैरेक्टर की बाबत हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जाहिर है कि जो राजनीतिक कार्यकर्त्ता हैं उनका कैरेक्टर अच्छा रहना चाहिए।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा और वह यह है कि जो एकाउंटस पोलिटिकल पार्टीज द्वारा पबलिश करने की बात इस बिल में कही गई है वह केवल रैकगनाइज्ड पोलीटिकल पार्टियों तक ही सीमित न रहे अपितु ऐसी पार्टियां भी जो कि अनरैकगनाइज्ड हैं और जिन्हें कि सिम्बल नहीं मिलता है लेकिन वह इलैक्शन के समय में आती हैं और चुनाव लड़ती हैं जैसा कि गोवा में हुआ उन पर भी अपने एकाउंटस पबलिश करने की बंदिश रखी जानी चाहिए।

हमारे गोवा में क्या हुआ। वहां पर जो ओपीनियन पोल हुआ तो वहां पर ऐसी मशरूम पार्टियां तैयार हुई जिनको कि पूंजीपति लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए लाखों रुपये की मदद की क्योंकि यह यूनियन टैरीटरी में गोवा को रखना चाहते थे वह गोवा को महाराष्ट्र में शामिल नहीं होने देना चाहते थे और उन्होंने लाखों रुपया ऐसी पार्टियों पर खर्च करके जनता के वोटों को खरीदा और इस तरह से रुपये के बल से गोवा को जो यूनियन टैरीटेरी में रखने की उनकी ख्वाहिश थी उसमें वह सफल हो गये। इसलिये मैं चाहता हूं कि सभी पार्टियां चाहे वह रैकगनाइज्ड हों या अनरैकगनाइज्ड सभी को अपने एकाउंट्स पबलिश करने चाहिएं ताकि यह साफ हो सके कि उन्हें पैसा कहां-कहां से मिलता। सर्व सामान्य जनता से, मध्यम वर्गियों से या पूंजीपतियों से।

मैं अधिक और न बोलते हुए सिर्फ यही निवेदन करना चाहूंगा कि विधेयक का सब स्वागत व समर्थन करेंगे लेकिन खाली ऐसा विधेयक लाने से ही कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं कि विधेयक आने के बाद भी गलतियां हो सकती हैं जैसा कि इनकमटैक्स का कानून बनने के बाद भी देखा गया है कि लोग इनकमटैक्स को छिपाते हैं और डबल एकाउंट बुक्स तैयार करते हैं। उसी तरह से यहां भी यह हो सकता है कि हमारी राजनैतिक पार्टियों के लिये यह कानून कर भी दिया गया कि वह अपने-अपने एकाउंटस पबलिश करें तो वह उसे वाईपास करने के लिए डबल बुक्स बनवा सकते हैं और वह भी उसे छिपा सकती हैं। इसलिए जैसा मैंने कहा हम सभी देश-वासियों को जिनमें यह राजनैतिक पार्टियां भी आती हैं अपने आचरण को ठीक करना होगा, कैरैक्टर को अच्छा बनाना पड़ेगा तभी इस बिल के लाने का जो उद्देश्य है वह पूरा हो सकेगा।

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि ला मिनिस्टर साहब गोयल जी के इस बिल के सिद्धांतों से पूरी तरह सहमत हैं और वह एक बाद में इन लाइंस के ऊपर मोर कम्प्रीहैंसिव बिल लायेंगे। मुझे आशा है कि वह उन सभी बातों पर विचार करके एक पूरा और कम्प्रीहैंसिव बिल लायेंगे जिससे भारत में जो पोलीटिकल पार्टियां हैं उनकी इंटेग्रेटी कायम हो सके, उन पर कोई इल्जाम न लगा सके।

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I think, the principle underlying this Bill is agreed to by all sides, including the Law Minister. The only suspicion that we have got is whether Government is really serious about tackling this problem because the question of banning company donations has been before them for such a long time and Government often repeats its assurance

that it is going to come forward with that Bill but it is no where in sight. Similarly, some time back when the Home Minister was pressed to divulge the various foreign sources from which parties in India were getting money he refused to divulge that.

Things of this nature give us a suspicion about the intension of this Government to do something redical to improve the image of political parties in this country. I do not blame any party. It is high time for politicians and political parties in this country to redeem their image.

After 1947 a basic demoralisation has set into the body politics of this country. One is casteism and the other one is the purchase of votes. Unfortunately, these trends go on increasing. I am sorry to say that in spite of our professions to the contrary, every party seems to select its candidates on the basis of the caste that is predominant in a constituency. Even the DMK, which was resisting that kind of a thing and did succeed in it to some extent, taking into account the nominations that we filed in the last elections, was by and large also swayed by that consideration because we thought the onslaught of the Congress could be resisted only by putting up candidates in a similar manner.

This sort of demoralisation is taking place in all the parties in this country unfortunately with the result that if this persists no serious minded politician or a honest and selfless worker from a minority community can hope to get elected either to the Legislative Assembly or to Parliament. That is the curse of casteism in this country.

About purchase of votes, there might be a few people who are very rich and who can afford to pay but even those who are rich—the richer they are the more greedy they become—make it as a sort of an investment. If they do not take any measures to replenish directly the amount that they have spent during elections, at least indirectly they will try to promote their own interest by using the prestige of their office as a Member of Parliament or as a Member of a Legislature. So, when money is spent, it reacts in various dubious means and that under-mines the very basis of democracy in the country. So, we should and must have a check and even if they can afford it, they should not be allowed to spend and purchase votes in elections.

Unless some measure is found and we do something in this regard, I am afraid things may take a very serious turn. People may lose faith in democracy altogether and a time may come when things may take a violent turn in this country. So, this is the time when the Law Ministry and the Government of India should seriously think of doing something. Insead of prevaricating and giving promises only to be broken later, they should come before the House to do something concrete on these lines. I am sure, Shri Goyal is not standing on false prestige grounds and is not going to insist, simply because his Bill is there, that it must be passed. Some Congress Member said. "Why should you leave it to the credit of the Opposition ? You should take it on your own head". We have no grudge. Let the Government take the credit on its own head. It is rather their responsibility to do it. It is rather too late. They have not yet done it. So, at least at this hour they should come forward to do something to improve the faith of our people in democracy itself. That is the basis question involved in this.

I am proud to say that I belong to a party which never approached anybody for party funds. I think, it is a unique feature of the D.M.K. Party that it is the only party in the country which charge entrance fee for those who attend their conference. When persons attend our conference or meetings of the D.M.K. leaders, they are made to pay. By way of these collections and savings from that amount, we are carrying on our party work. I hope, we will persist in that, But even my party is a little worried because these things have gone very far and the elections have become so costly. I am afraid, even we mny have to fall in the trap of other parties. Then, that will be a sad day for us. I hope, we will resist it. If the Government wakes up at this time and does something in that regard, I hope, things will improve in the country. This is in the interest of all the parties. It is in the interest of the image of politicians of all political parties. Can that only save democracy in the country ?

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक लाया गया

[श्री कंवरलाल गुप्त]

है उसके जो सिद्धान्त हैं मैं समझता हूं कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में काम करता है और प्रजातन्त्र में विश्वास करता है, उनका विरोध नहीं कर सकता क्योंकि अगर देश में प्रजातन्त्र रहना है तो चुनावों में लोगों के मत का केवल एक ही आधार होना चाहिये कि उस राजनैतिक दल के सिद्धान्त क्या हैं। इसके अलावा और कोई बात नहीं हो सकती। जिस तरह से हमारे देश की राजनीति चल रही है, जिस तरह से हमारे देश में चुनाव हो रहे हैं, उनमें वह एक बड़ा भयानक रूप धारण करने जा रहा है। चुनाव बहुत महंगे हो रहे हैं। जाति बिरादरी के नाम से वोट मांगे जाते हैं, वोटों की खरीदारी भी होती है। यह एक ऐसा वार है जो हमारी डिमाक्रेसी पर भी चोट कर सकता है। इसलिये मैं अपने मित्र श्री गोयल को बधाई देना चाहता हूं कि वह इस समय एक ऐसे बिल को यहां पर लाये जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी।

आज हमारे राजनीतिक दलों में चुनावों में पैसे का बहुत अधिक प्रभाव होता जा रहा है और प्रभाव विदेशी पैसे का है। यहां के कुछ लोग आज पैसा देकर राजनीतिक दलों और राजनीतिक दलों के नेताओं को खरीदना चाहते हैं ताकि उनके द्वारा देश की राजनीति चले। यह बहुत भयानक चीज देश में होती जा रही है। जब तक इसको नही रोका जायेगा तब तक देश में डिमोक्रेसी नहीं बच सकती। आपको याद होगा कुछ दिन पहले यहां पर 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की एक कटिंग को पढ़ा गया था। स्वयम् कांग्रेस के अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा साहब ने कहा था कि प्रधान मन्त्री ने 10 लाख रुपया इस चुनाव के लिये हमें दिया है, और उन्होंने यह वादा किया है कि 5 लाख रुपया और दिया जायेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह परम्परा अच्छी है कि देश का प्रधान मन्त्री बड़े-बड़े सरमायेदारों से चन्दा ले और पार्टी के चुनाव के काम में लाये ? मेरी पार्टी ने तो यह नियम बनाया है कि कोई भी उसका मन्त्री पार्टी के लिये चन्दा नहीं लेगा। आज आवश्यकता है कि कांग्रेस के जरिये से भी इस प्रकार की परम्परा बनाई जाये। मैं आपके जरिये से मांग करता हूं कि प्रधान मन्त्री महोदया ने जिन लोगों से रुपया लिया है उनके नाम बतलायें, उनके ऐड्रेस बतलाये ताकि जनता के सामने यह चीज आ जाये कि प्रधान मन्त्री ने बदले में उनको कुछ नहीं दिया।

मैं जिम्मेदारी से एक और चार्ज लगाना चाहता हूं कि इस कांग्रेस ने पिछले मिड-टर्म पोल में सी पी डबल्यू डी में जो कंट्रेक्टर्स काम करते थे उनसे पैसा लिया है। उनके अधिकारियों के आल इंडिया कांग्रेस कमेटी में पेइज एकाउंट के चेक हैं। एक नहीं बीसों कंट्रेक्टर्स के पेइज एकाउंट के चेक में बतला सकता हूं। नाम बतला सकता हूं, और चेलेंज कर सकता हूं कि उनकी एन्क्वायरी कराई जाय। मैं मांग करता हूं कि उनकी एन्क्वायरी होनी चाहिये। इस तरह से सरकारी मशीनरी इस बात के लिये इस्तेमाल की गई। इसके लिये एक बड़ी सी बी आई एन्क्वायरी हो ताकि जनता के सामने सारी चीज आये।

दूसरी बात गालिब सैंटिनरी की है। इसमें जो हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं उन्होंने लाखों रुपये इकट्ठे किये। पन्द्रह दिन के अन्दर लाखों रुपये इकट्ठे किये गये। इस तरह से लाइसैंस और परमिट देकर हमारे देश के लोगों को खरीदा जा रहा है। मैं समझता हूं कि जो पार्टी इन पावर है वह हमारे यहां यह अच्छी परम्परा नहीं रख रही है।

हमारे यहां रुपी पेमेंट बेसिस पर जो व्यापार होता है, उन देशों से कम्यूनिस्ट पार्टी को भी पैसा मिलता है। वहां से ही नहीं, अमेरिकन एजेंट हैं उनके जरिये से उनके लिंक हैं, जिनसे उन्हें पैसा मिलता है। यहां जो एम्बैसीज हैं उनसे पैदा मिलता है। वह भी

पैसा ही नहीं है, अमरीका पैसा भी है। अमरीका के एजेंट भी यहां पर हैं।

आपको मालूम होगा कि मैंने 'पैट्रियाट' और 'लिंक' के बारे में सवाल उठाया था। मेरी जानकारी है कि सी बी आई ने इस पर एन्क्वायरी की और उसकी रिपोर्ट से यह मालूम हो गया कि 'पैट्रियाट' और 'लिंक' के पास बाहर से पैसा आया है। बाहर की सरकारों ने उनको मदद की है। लेकिन उसके बाद सरकार ने कोई काम नहीं किया। मैं आपके जरिये सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वह एक काम्प्रिहैंसिव बिल लाये कि जो विदेशी पैसा लेता है, चाहे वह कोई राजनीतिक पार्टी हो या राजनैतिक व्यक्ति हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। आज कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे विदेशी पैसा लेने वाले को सजा मिल सके। इस प्रकार के लोगों को अवश्य सजा मिलनी चाहिये। केवल कानून से ही कोई बात बनने वाली नहीं है। हम लोगों को अपनी एक परम्परा बनानी चाहिये। जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखते हैं—मुझे उन लोगों से कोई आशा नहीं है जो मेरे बायें तरफ बैठे हुये हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं उन्हें एक पब्लक ओपीनियन बनानी चाहिए, एक ऐसी विचारधारा बनानी चाहिए, सिद्धांत बनाना चाहिये जिसके जरिये से कोई भी विदेशी पैसा न ले।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, गोलवल्कर जी को दक्षिणा कहां से मिलती है ?

श्री कंवरलाल गुप्त : वह हम देते हैं।

एक माननीय सदस्य : वह खून चूसने वाले लोग देते हैं।

श्री कंवरलाल गुप्त : वह रूसी नहीं, वह चीनी नहीं हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : यह साबित किया जाये। पिछले चुनाव में बिहार में इन लोगों ने क्या-क्या किया है यह सबको मालूम है। लाखों झंडे बटवाये गये हैं। मुसलमानों की दुकानों पर जबर्दस्ती झंडे लगवाये गये हैं और कहा गया है कि हमको वोट दो। लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया।

श्री कंवरलाल गुप्त : यह उन लोगों ने नहीं किया। हमने मना कर दिया था।

MR. DEPUTY-SPEAKER : All sorts of allegations are made. Please resume your seat.

श्री रामावतार शास्त्री : मैं उनके कहने का कंट्रेडिक्ट करना चाहता था। मैं उनकी बात अनचैलेन्ज्ड नहीं जाने देना चाहता था। उन्होंने 'पैट्रियाट' और 'लिंक' के बारे में कहा। उनका 'आगेनाइजर' कहां से चलता है ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON) : I used the word 'comprehensive' with respect to the amendment of the Representation of the People Act. In the speech made by Shri Goyal, as also in the speeches made by many other friends, there were two ideas, two currents of thought, which were given expression to one with respect to excess of expenditure regarding elections and the other, with respect to the flow of money from other countries like America, Russia, China, etc., to political parties. These are two different ideas. What I said was, the hub of the Bill or the most important measure in the Bill is what the Election Commission should do. What I said was that we propose to bring a comprehensive legislation to amend the Representation of the People Act.

After the 1967 elections.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : May I request the hon. Minister to resume his speech the next day, because this is a long debate and we have to take up the half-hour discussion scheduled for 17.30 hrs. ?

SHRI GOVINDA MENON : Yes.

———